THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI S. JAIPAL REDDY): Mr. Vice-Chairman, while associating myself with the views and sentiments expressed by both Prof. Swell and Mr. Raj Mohan Gandhi, I would like to make a request to the hon. Minister and through you to the Prime Minister that these things may be nipped in the bud. We are getting back to the old ways of destabilising non-Congress (I) Governments. We have reason to believe that these efforts in Meghalaya are being made with the blessings of those who are in power in Delhi. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Already over. I cannot permit any Member. I understand that Mr. Mishraji, Mr. Sukomal Sen, Mr. Yadavji, Mr. Ram Awadhesh Singh and a few other Members whose names are here can associate with the sentiments expressed by Mr. Swell...*(Interruptions)*...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Mr. Jacob, are you reacting?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Why should he react to a special mention?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): I am not reacting. ... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar) in the Chair.

RESOLUTION RE. URGENT NEED TO AMEND EXISTING ELECTION LAWS—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We will continue with the Private Members' Resolutions. Shri Yashwant Sinha. He has not finished. But he is not there.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: (Uttar Pradesh): He has gone to Muscat.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Sivaji.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, malpractices in elections are a problem and the problem is getting aggravated day by day. All the political parties, the various Governments in power in the various States and newspapers, all of them, are contributing to the deterioration in standards in the conduct of elections. It is very unfortunate that all the political parties are inducting caste and communal politics into elections. Nowhere else and never the election result is decided on the basis of caste and never a particular caste votes in toto only for a candidate from that particular caste. The high commands of all the political parties, while announcing their lists of candidates for the various elections, say that they have given so many seats to Brahmins, so many to Thakurs and so many to Jats. The system is getting on like that. All the political parties are contributing to this and candidates are fielded on the basis of caste.Sir, we are aware, since representative elections have been introduced in this country, the elections results are never decided by known caste lines and known communal lines. When it is decided by such an emotional issue and not on the basis of the problems facing the country, how can we attribute caste for the result. During 1952, when elections took place in the composite Madras State, there was a representation at that time against the Communist party. The undivided Communist party went underground and thousands of communist workers had been arrested. They went to the court during 1952. Again the Communist party gained the public sympathy and thereby most of the Congress people were defeated at

the polls and the Communist party with the help of Praja party as well as other parties, was to come into power but for the trick played by the then Governor at Madras and Shri C. Rajagopalachari was inducted to the Upper House and he was nominated as the leader of the Congress party in the Legislature. He became the Chief Minister. Then during 1955, election took place in separate Andhra. The people felt that the Communist party was arrogant and they wanted to teach a lesson to them. So during 1955 elections, the Congress party was defeated and the polls and the Congress party again came into power. Again during 1967, when elections took place throughout the country, with the demise of Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri and the internal squabbles inside the Congress party each group pulling in the opposite direction, people thought that Congress party should be taught a lesson. So in majority of the States, at least in nine States, he Congress pary was defeated and the non-Congress parties came into power. But unfortunately this change was for a short period and all the nine States went to the polls during 1969 and in the mid-term poll, all the non-Congress parties went out and the Congress party again came into power. Again during 1971, when Shrimati Indira Gandhi went to the polls with the slogan of "GARIBI HATAO", she came out victorious. At the same time when Pakistan was divided and Bangladesh was created, again election took place to Assemblies and in this election also, the Congress party was victorious in the polls. But the victory of March 1971 and March 1972 did not last long and by 1975, that is within three years, the popularity of Shrimati Indira Gandhi's Government went off and they could not run the Government properly and ultimately emergency was imposed during 1975. Again during 1977, elections took place and the people thought that the Congress party was not good enough to deliver the goods and if the Congress party comes to power, democracy will be in peril. So they voted in favour of the non-Congress parties and the Janata party came into power during 1977. By 1978 people again thought that the Janata party was not good enough and they again brought back Shrimati Indira Gandhi. The Congress party came into power again in 1980. By 1983 by January itself, the Congress party was so unpopular in Andhra Pradesh that it was voted out of office. What I mean to say is that the elections are decided on the basis of the inspiration to the people or on an emotional aspect but not by the caste lines or communal lines. Unfortunately, the people sitting at the helm of affairs did not realise that and they think and feel that the election result is being decided wholly on the caste lines thereby instigating casteism as well as communalism in the elections in deciding the candidate, in fielding the candidate, in canvassing and in everything. The second aspect I would like to bring to your notice is that day by day, as time goes on, the criminalisation of the politics as well as the elections is going on. Sir, the hon. Minister is sitting here. I went to Tripura. There also, so much of violence took place and I am not blaming anybody. The hon. Minister of Law, Justice and Company Affairs, Shri K. Vijaya Bhaskara Reddy is sitting here. There is so much of violence at his place also. And so much violence is there in his place and I am not blaming him. It is time that all political parties should sit together and see that some guidelines are evolved and anybody . . . (*Interruptions*) . . . Would you like to react, Mr. Minister?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEB): No, no, no. You are free to say whatever you want.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: And you are free to act. Sir, he is going..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Sivaji, it is not a walk-out. Please continue.

He is not concerned with this.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: It is time, if not high time, when all the political parties should sit togeher and evolve guidelines to debar people with criminal record from the membership of a political party. Unless this is done, it is very diffi-

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

cult to run the political parties on sound lines. Mr. Vijaya Bhaskara Reddy knows pretty well that in the entire Rayalaseema now-a-days—I don't know how he came up to this level—there is no place for a gentleman. That is the situation... (*Interruptions*)....

Whoever it is, whatever party it is, anybody with some criminal record or who is under trial in a court of law or is convicted by a court of law or whatever it is, that person may be debarred from entering any party and all the parties should make it a point not to award any membership to such persons. But unfortunately, the political parties are encouraging criminal elements and at the same time several youth organisations which are there in every place, in every district, in every town, also draw inspiration from elders in the criminalisation of politics.

I would like to add another thing with regard to the Press and the media. Unfortuantely, in every election the Press goes on analysing for one month or one month and fifteen days. This time the elections were announced about three months ahead of schedule. But all these three months all the newspapers gave analyses stating there are seven assembly segments in this parliamentary constituency and in all the seven assembly segments female voters are more than the male voters and agricultural labourers are more than the agriculturists; in the last elections in this constituency so and so won the elections but he was defeated in 1971 and again such and such parties took part in the elections in 1977, so many people contested against each other and ultimately, that fellow won. But in their enthusiasm, the newspapers and the media, they are going a little bit further in analysing that in this assembly segment the number of Harijan voters is such, the number of Reddy voters is such and the number of Kamma voters or Naidu voters is such. Like that, they are going to analyse the facts and the position of the voters in that particular segment. That is giving rise to so much communal tension and caste tension. Slowly they are influencing the minds of political workers saying unless you go on the lines of castes, it is not possible to go to the polls and it is not desirable for the efficient functioning of democracy.

I would like to appeal to the media as well as my journalist friends to see that such thing is avoided, such reporting is avoided, such analysis in the Press during electioneering is avoided on caste lines and communal lines. Unless it is done, I am very much afraid that we are heading from bad to worse.

As far as money power is concerned, Sir, every Member of Parliament, every Member of a Legislature, starts his career by a false declaration. The limit is that he should spend such and such amount, one lakh or fifty thousands, whatever it is, he status his career by filing a declaration giving false information that his expenditure in the election was limited only to that amount. I came across several Members who declared that their election expenditure was less than Rs. 10 or Rs. 15. I do not know what actually they spent. They are wise enough to spend only such limited expenditure of Rs. 10 Rs. or Rs. 15. Sir, what I would like to suggest is that you be realistic in enhancing the limit of expenditure in electioneering. Unless it is done, I am sure that the present system may go down. Sir, you are aware, soon after the Second World War several countries got liberated from their colonial rule. At least a hundred countries got liberated and they attained freedom and independence. But unfortunately, almost all the countries among those hundred countries but for India, went back from the democratic and parliamentary system to other forms of government. You see what happened in our neighbouring countries like Pakistan, Bangladesh, Afghanistan Sir Lanka and Burma. Several other countries from Italy to Egypt, are going back from the democratic and parliamentary system to other forms of government. I am very much afraid, if the present situation continues those days are not too far away for us also to follow suit. So unless it is rectified the functioning of the parliamentary system in this country may be in danger and under threat. Sir, our friend Satya Prakash Malaviya made an

issue in regard to the amendment for polls in Punjab. Sir, Punjab Assembly was dissolved on 6th March, 1988 and President's rule was imposed long back on 11th May, 1987. Since 1987 to date President's rule is continuing in Punjab. Then we have the 68th Amendment to extend President's rule up to 10th May, 1992 and we are going for 70th amendment to extend the President's rule further. So the Representation of People Act is amended several times. Sir, the electoral reforms issue is engaging the minds of the people in this country from time immemorial and so many patriots like Jayaprakash Narayan, Justice Tarkunde and others have also discussed the problem of electoral reforms but precious little has been done so far in this direction. The delimitation of constituencies is also there. The seventy-first amendment to the Constitution is also brought out in regard to delimitation of the Assembly as well as Lok Sabha segments. I would like to advise the Government to see that some constitutional steps are taken to contain criminalisaion of political parties and politics and to reduce the money power in politics. The ruling party and the Government in the country can call a meeting of various political parties to evolve certain guidelines for all the parties and these guidelines may be incorporated in the Representation of people Act and the Election Commission may act against those who violate these guidelines. from whichever party or whoever they may be. They may be debarred and they may be derecognised by the Election Commission. So I think it is high time that the Government should act in this direction. Thank you very much.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सत्यप्रकाश मालवीय जी ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के पश्चात आम चुनावों के स्थगित कर दिए जाने, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव रद्द कर दिए जाने और पंजाब राज्य में चुनाव के एक दिन पहले रात्रि में चुनाव स्थगित किए जाने और कई जगहों पर गलत तरीकों के अपनाए जाने के कारण चुनाव अधिनियम में संशोधन संबंधी जो गैर-सरकारी संकल्प उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहूंगी । महोदय, अगर हम लोग देखें तो चुनाव स्वतंत्र भारत में 1952 से ही हो रहे हैं और चुनावों में जन प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया एक अधिनियम के तहत चल रही है । उसमें दिया गया है कि कितने दिन पहले चुनाव की घोषणा होगी, किस तरह से कंडिडेट चुने जाएंगे या कौन कंडिडेट हो सकते हैं उसकी प्रक्रिया है । चुनावों को स्थगित करना पड़े तो किन कारणों से स्थगित करना पड़ेगा वह भी अधिनियम में दिया हुआ है । माननीय सदस्य शिवाजी ने 1952 से लेकर अब तक उसकी समीक्षा की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूं, लेकिन 1990-91 के चुनावों की समीक्षा की जाएगी तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनावों का संचालन किया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है।

महोदय, चुनाव आयोग ने गत लोक सभा चुनाव शुरू होने से पहले ही कुछ जगहों के बारे में कह दिया कि वहां वायलेंस होने की संभावना है । उन्होंने नाम भी बता दिए कुछ प्रान्तों के कि जहां पर लॉ एंड आर्डर की खराब हालत है जैसे पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और गुजरात के कुछ हिस्सों के । उन्होंने कहा कि यहां बहुत सख्ती से काम लेंगे, बहुत सख्ती से लॉ एंड आर्डर को लागू किया जाएगा । पश्चिमी बंगाल ने जब इस पर घोर आपत्ति की तो पश्चिमी बंगाल को इस सूची से काट दिया गया । हरियाणा उत्तर प्रदेश, बिहार आंध्र और गुजरात, के कुछ हिस्से इसमें शामिल रहे । महोदय, चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हम स्वयं ला एंड आर्डर मेनटेन करने का प्रबंध करेंगे लेकिन प्रबंध के लिए जो कुछ करना होगा, हम सब कुछ करेंगे । वालंटरी कोड आफ कंडक्ट भी उन्होंने कहा कि लागू करेंगे । लेकिन इस कोड आफ कंडक्ट के पीछे कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, नतीजा यह हुआ कि

[श्रीमती कमला सिन्हा]

प्रान्तों के साथ केन्द्र के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी । उसके बाद एक और दुर्घटना घटी। चुनाव आयोग ने लोक सभा के स्पीकर के ऊपर भी आरोप लगाए जो अपेक्षित नहीं थे क्योंकि लोक सभा के स्पीकर का पद ऐसी संस्था है जो संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करती है । चुनाव आयोग की तरह वह भी एक संस्था है जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है और जिन आक्षेपों को लगाया गया उनके बारे में जब लोकसभा के सचिवालय से आपत्ति की गई तो उन आरोपों को वापस ले लिया गया। और वायोलेशन आफ कोड आफ कंडक्ट जिसके बारे में कहा था कि मैं "प्रैस को दूंगा," तो वह भी नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास तथ्य का प्रमाण नहीं थे । चुनाव आयोग ने बिहार के साथ जो बर्ताव किया वह बहुत ही खेदजनक है । बिहार के बारे में तो ऐसा कहा गया कि सारे बिहारी क्रिमिनल्स हैं । इस तरह से अन्यायपूर्ण बर्ताव हो रहा था । चुनाव आयोग ने कुछ कांस्टीट्यूएंसी का, कुछ चुनाव क्षेत्रों का जिनमें छपरा, औरंगाबाद, विक्रमगंज, मुंगेर, जहानाबाद, जहां चुनाव हो गए, गिनती हो गई, उम्मीदवार कौन जीते उसकी घोषणा हो गई और उसके बाद रोक दिया गया । किसी पदाधिकारी ने कोई खबर नहीं दी, खिलाफ रिपोर्ट नहीं दी, उसके बाद भी रोक दिया । मैं आपको इस संबंध में रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स एक्ट 1951 और उसके बाद जो संशोधन हुआ उसको मैं पढ़ कर बताना चाहती हूं कि किस स्थिति में काउंटरमांड हो सकता है धारा 58(ए) में कहा गया है :

"Adjournment of poll or countermanding of elections on the ground of booth capturing etc., etc. Election Commission on the receipt of report from the Returning Officer under sub-section (1) and after taking all material circumstances into account may declare the poll at the polling station or place as void, and appoint a day and fix the hours for taking fresh poll at the polling station or place and notify the date so appointed."

महोदय, मैं मुंगेर के बारे में कहना चाहती हूं । चुनाव का नतीजा घोषित हो गया, इसके बारे में सूचना मिली और एक महीने के बाद मुंगेर में सौ बूथों में दुबारा चुनाव हुए । इसका नतीजा क्या हुआ ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ चुनाव के नतीजे में। सौ पोलिंग स्टेशनों पर दुबारा चुनाव कराये गये। जो उम्मीदवार चुनाव में पहले जीते थे सी०पी०आई० का भाई, वही फिर से जीत कर आया पर वोटों का अंतर बढ़ गया । पहले एक लाख 43 हजार से जीता था लेकिन बाद में वह डेढ़ लाख से जीता । इसी तरह की बात औरंगाबाद में हुई । रिजल्ट की घोषणा हो गई और घोषणा होने के बाद हुकमनामा जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि रिजल्ट को रोक दिया जाए और वह रोक दिया गया । कुछ बूथों पर दुबारा मतदान हुआ दुबारा गिनती हुई और दुबारा गिनती में हमारे उम्मीदवार के वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, ढ़ाई हजार वोट बढ़ गए । कानी बार-बार किस प्रेरणा से यह काम हो रहा था मुझे नहीं मालूम लेकिन जिस ढंग से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चुनाव आयोग काम कर रहा था उससे निश्चय ही संदेह की उंगली उन पर जाती है । विक्रमगंज में भी चुनाव के रिजल्ट की घोषणा हुई । रिजल्ट आ गया लेकिन चुनाव आयोग का आदेश आया कि इसे रोक दिया जाय। सर्टीफिकेट भी उनको मिल गया था । तब भी कहा गया कि सर्टीफिकेट वापस ले लिया जाये। उसके बाद कहा गया कि वोटों की गिनती दुबारा होगी । दुबारा गिनती हुई। वहां से जनता दल के उम्मीदवार की जीत हुई। उसके बाद भी उस उम्मीदवार को दस रोज तक सर्टीफिकेट नहीं दिया गया । जहानाबाद में भी इसी प्रकार की घटना घटी । छपरा में यह कहा गया कि यहां के रिटर्निंग

आफिसर को बदल दिया जाए क्योंकि इन्होंने मनमानी की है। दुबारा गिनती कराई जाये। दुबारा गिनती हुई लेकिन वोटों की संख्या बढ़ी, घटी नहीं। चुनाव आयोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करता रहा।

रिजल्ट डिक्लरेशन के बारे में रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स एक्ट की धारा 66 में कहा गया है :

Declaration of results: "When the counting of votes has been completed, the Returning Officer shall, in the absence of any direction from the Election Commission to the contrary forthwith declare the result of the election in the manner provided by this Act or the rules thereunder."

मैं पटना में रहती हूं। मुझे मालूम है। मैं चुनाव के दिन वोट देने गई थी। जितना शांति पूर्ण ढंग से चुनाव इस बार बिहार में हुआ, पटना में हुआ उतना शांतिपूर्ण गत कांग्रेस की हुकूमत में कभी नहीं हुआ। वहां इस बार कहीं कोई अशांति का वातावरण नहीं था, कोई हंगामा नहीं था लेकिन पता नहीं किस के कहने पर चुनाव समाप्त भी नहीं हुआ था कि पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर वहां का चुनाव काउंटरमांड कर दिया गया। यह बहुत ही शर्मनाक बात है

चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद यह काम चुनाव आयोग ने, जिन का मैंने उल्लेख किया है, वहां किया। चुनाव आयोग चुनाव के नतीजे की घोषणा से पहले आदेश देता कि यहां गड़बड़ हुई है इसलिए चुनाव का रिजल्ट रोक दिया जाए तो बात समझ में आती लेकिन चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद रोका गया इससे कानून का उल्लंघन हुआ चुनाव आयोग के द्वारा। यह कहा गया कि करप्ट प्रेक्टिसेज हुई है। वे क्या क्या हैं इसकी भी सूची अधिनियम में दी हुई है : पर ऐसी बातें बिहार में नहीं हुई हैं। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। हमारे देश में चुनाव संहिता में यह कहां हुआ है कि चुनाव में जाति, धर्म को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कही जा सकती है। माननीय सदस्य श्री शिवाजी ने कुछ बातों की चर्चा की। 1952 से ही जाति की बात कही गई है। 1957 के चुनावों में हम लोगों ने देखा कि जातीय उन्माद पैदा करने का क्रम शुरू हुआ और गत चुनाव में हम लोगों ने देखा कि भाई-भाई को बांटने की, धर्म के नाम पर बांटने की बात की गई और जिस तरह से इसमें धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई, भगवान के नाम का इस्तेमाल किया गया, हिन्दू देवताओं के नाम का इस्तेमाल किया गया, हिन्दू देवताओं का अपने चुनाव चिह्न में इस्तेमाल किया गया, जिस ढंग से धार्मिक उन्मादपूर्ण कैसट्स का इस्तेमाल किया गया, वह बहुत ही उत्तेजनात्मक और भ्रम फैलाने वाला था। उस समय चुनाव आयोग ने इसको बंद नहीं किया जो कि कानूनन बंद किया जाना चाहिए था। चुनाव आयोग इसको बंद कराने में सक्षम था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग ने पंजाब में एक दिन पहले चुनावों को जरूर रोक दिया। इसका कारण क्या दिया? यह कहा गया कि वहां इलेक्शन की हालत नहीं है। लेकिन उससे पहले बार बार तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा कि लोकतंत्र की पुनःस्थापना के लिए चुनाव आवश्यक हैं। उस समय चुनाव रोके नहीं गये। जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी उस समय रोका गया होता या जब केन्डीडेट्स की हत्यायें हो रही थीं उस समय रोका गया होता तो एक मायने में चुनाव आयोग द्वारा एक उचित कदम होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक रात पहले, कल सुबह चुनाव होने वाले हैं, आधी रात को घोषणा हो जाती है कि चुनाव रोक दिया गया है। आयोग द्वारा यह सफाई दी जाती है कि प्रधान मंत्री के कहने पर चुनाव रोक दिया गया है। प्रधान मंत्री द्वारा कहा जाता है कि हमने कतई नहीं कहा। यह आज के भारत के इतिहास का एक लज्जाजनक अध्याय बन चुका है।

3.00 P.M

पंजाब में चुनाव रोकने का अगर हम विश्लेषण करने बैठे तो आपस में

[श्रीमती कमला सिन्हा]

कहा-सुनी हो जाएगी और आज सदन में पूर्वाह्न में जो दृश्य उपस्थित हुआ था शायद वैसा ही दृश्य उपस्थित हो जाय। मेरी आदत नहीं है कि उस भाषा में बोल सकूं और उस तरह का दृश्य उपस्थित करूं। यह बहुत ही लज्जाजनक और शर्मनाक बात है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि चुनाव निष्पक्ष होकर, छोटे दायरे से ऊपर उठकर, देश को सामने रखकर, लोकतंत्र के हितों की रक्षा को सामने रख कर और रिप्रेजेंटेशन आफ पिपुल्स एक्ट को सामने रखकर होने चाहिएं। ऐसा गत चुनाव में नहीं किया गया। एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हम लोग 1952 से देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावों की प्रक्रिया बढ़ी है तो हमारे चुनाव की पद्धति में कौन लोग हावी होते आये हैं। 1952 से 1957 तक तो इस देश की संस्थाओं के प्रति, राजनैतिक दलों के प्रति जो प्रतिबद्धता रखने वाले लोग थे, देश के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले लोग थे, ऐसे लोग जरूर चुनकर आये। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पैसे और क्राइम का इस्तेमाल होने लगा और हम राजनीतिज्ञ ही इसको करते हैं। नतीजा यह हुआ कि जिनकी मदद से लोगों को डराने-धमकाने का काम होता रहा है, पिछले दो-तीन चुनावों से हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग खुद ही चुनाव जीत कर आने लगे हैं। विभिन्न विधान मंडलों और संसद में पहुंच रहे हैं। ऐसे लोग संसद और विधान मंडलों में पहुंचेंगे तो विधान किस के लिए बनायेंगे। हम यहां क्यों आते हैं? संसद और विधान मंडलों में क्यों जाते हैं? हम लोग यहां लाठी या कुदाल चलाने नहीं आते हैं। हम विधान बनाने के लिए आते हैं। इस देश को किस तरीके से चलाया जाय, उसके लिए विधान और नियम बनाने के लिए और देश के लिए कानून बनाने के लिए आते हैं। अगर अनपेक्षित लोग आयेंगे तो वे कानून भी अपने हित के लिए ही बनायेंगे। ना ही इस देश की 85 करोड़ जनता, भूखे, नंगे, शोषित पीड़ित जनता जो है उनके कल्याण के लिए कानून ये बनायेंगे। इस बात की तरफ भी मैं आगाह करना चाहती हूं कि इस स्थिति को भी बदलना पड़ेगा। हमारे पूर्ववक्ताओं ने सही कहा है कि चुनाव अधिनियम में संशोधन होना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिये आवश्यक हो गया है कि पैसे का चुनावों में बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव अधिनियम में दिया हुआ है कि इतनी रकम तक खर्च की जा सकती है। इसमें संशोधन होते गये और 1956 में भी संशोधन हुआ। आज पैसे का अवमूल्यन बहुत हो चुका है। 12 आना एक रुपए में उस समय एक गैलन पेट्रोल मिलता था लेकिन आज 15 रुपये में एक लीटर पेट्रोल मिलता है। उस समय 52-57 में वह चाहे किसी भी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता हो वह पैदल चलता था, साइकल पर घूमता था और अपने चुनाव का प्रचार करता था क्योंकि वे देश के प्रति प्रतिबद्ध थे। लेकिन आज कोई बिना मोटर कार के घूमना नहीं चाहता था। तो लाजिमी बात है कि खर्चा बढ़ेगा। कैंडिडेट्स के चुनाव प्रचार में पहले भोंपू होता था और बहुत हो गया तो हजार, डेढ़ हजार पोस्टर लगा देते थे लेकिन आजकल वी०डी०ओ० रिकार्डिंग होती है। वी०डी०ओ० पर सिनेमा दिखाये जाते हैं। गत चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जो तत्कालीन मंत्री लोग थे उनके चुनाव क्षेत्र में जगह जगह नुक्कड़ों पर वी०डी०ओ० रिकार्डिंग दिखाई जा रही थी। उनको भाषण करते हुए और उनको दान देते हुए दिखाया जाता था। उनके कसेट बजते रहते थे। इससे, लाजिमी है कि खर्च बढ़ेगा। इसलिए इसमें संशोधन करने की जरूरत है। इस मामले में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया, चुनावों कानूनों में

संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। इसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे देश में जो चुनाव कानून हैं उसमें ज्यादा मत जिस उम्मीदवार को मिलते हैं वह चुनाव जीतकर आता है और अन्य वोट बरबाद होते हैं। लेकिन कुछ यूरोप के देशों में चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार की है कि उम्मीदवार पार्टी तय करती है और लोग पार्टी को वोट देते हैं। पार्टी वह यह तय करती हैं कि कितने वोट मिलने से कितनी सीट की जीत होगी। उन्हें प्रोपोर्शनल वोट जो मिलते हैं उसके हिसाब से पार्टी को सीट मिलती है। उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में कंडीडट के रूप में प्रचार करता है। पार्टी प्रचार करती है और वोट बर्बाद नहीं होता है। तो इस बात पर भी सोचा जाना चाहिए कि चुनाव अधिनियमों में आमूल परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं ताकि वोट बर्बाद न हो।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहती हूं। हम देखते हैं कि आजकल कैंडीडेट्स की भरमार हो रही है। पहले एक छोटे से पन्ने में जो 5–7 कैंडीडेट होते थे, उनके नाम होते थे, उनके चुनाव चिन्ह होते थे और मतदाता बड़ी आसानी से उनका नाम व चुनाव चिन्ह देखकर उस पर मोहर लगाकर अपना मत दे दिया करता था। लेकिन अब वह एक अखबार की शीट से भी बड़ी होने लगी है। न तो मोड़ते बनता है और न ही वोटर को उसका चुनाव चिन्ह आसानी से दिखता है। अपने प्रार्थी का नाम व चुनाव चिन्ह ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। और महोदय, अगर कहीं पर कोई चुनाव रद्द कराना हो तो उसका सबसे आसान तरीका है, अगर आप हार रहे हों, अगर कोई कडीडेट हार रहा हो तो उस इलेक्शन को रद्द कराने के लिए किसी इंडिपेंडेंट कडिडेट को मार दो। महोदय, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूं कि उत्तरी बिहार में मधेपुरा कांस्टिट्यूंसी में मैं गई थी। पोलिंग कल होनी थी, एक दिन पहले वापस आ गई। चुनाव के पहले रात को ही एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो एक कमजोर महिला उम्मीदवार थी, उसको जान से मार डाला गया और वह चुनाव रद्द हो गया। वहां पर सारी व्यवस्था हो गई थी। सारे पोलिंग स्टेशन पर पदाधिकारी चले गये थे। एक पार्लियामेंटरी कांस्टिट्यूंसी में 12सौ, 15सौ पोलिंग स्टेशन होते हैं वहां पर सब व्यवस्था हो गई, लेकिन चुनाव रद्द हो गया। इसलिए हमको चुनाव अधिनियम में यह भी सुधार लाना पड़ेगा कि जिस कैंडिडेट की जीतने की कोई संभावना नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है ऐसे उम्मीदवार की अगर हत्या हो जाय तो चुनाव काऊंटरमैंड होना उचित है क्या' यह भी विचार करना पड़ेगा। तो बहुत गम्भीर हो कर विचार कर के चुनाव अधिनियम में संशोधन करना निहायत आवश्यक हो गया है। आज की परिस्थिति में चुनाव अधिनियम में संशोधन हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग की जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापना की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति और गरिमा को पुन: स्थापित किया जा सके, इसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। गत चुनाव में चुनाव आयोग ने अपनी गरिमा को निहायत घटाया है, गिराया है, लोगों के सामने इतना शंकाजनक प्रश्नचिन्ह उपस्थित हुआ है चुनाव आयोग के बारे में जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Hon. Members, if we can curtail our time, because the points are being repeated, the hon. Minister, who is here, can reply around 4.15. It will be useful if the House as well as the mover of the Resolution listen to him. The debate can continue after his intervention.

I think there should be no objection to this procedure. Now, Mr. Gautam.

If you can curtail your time...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Yes, yes. I will take very little time, Sir.

[Shri Sangh Priya Gautam]

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मालवीय जी ने प्रस्ताव रखा है कि चुनाव कानून में संशोधन होना चाहिए। संशोधन क्या होना चाहिए, यह सदन के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन इसमें उन परिस्थितियों का वर्णन उन्होंने किया है जिनमें चुनाव कानून में संशोधन होना आवश्यक हो गया है। एक परिस्थिति तो यह थी कि श्री राजीव गांधी की हत्या के उपरांत सारे देश में चुनाव स्थगित कर दिये गये, दूसरी परिस्थिति थी कि पंजाब प्रदेश में होने वाले चुनाव स्थगित कर दिये गये और तीसरी परिस्थिति यह थी कि कुछ लोक सभा चुनाव क्षेत्रों में बूथ केप्चरिंग के कारण चुनाव रद्द कर दिये गये। तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में जिस प्रकार से चुनावों को स्थगित किया अथवा रद्द किया क्या चुनाव आयोग का यह कार्य औचित्यपूर्ण था और क्या चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार था कानून में प्रदत्त था या नहीं था, यदि नहीं था तो क्या इस प्रकार का कोई अधिकार चुनाव आयोग को होना चाहिए। मान्यवर, मैं एक एक कर के जो उन्होंने परिस्थितियां दी हैं उनका वर्णन करना चाहता हूं। माननीय श्री राजीव गांधी की हत्या के उपरांत सारे देश में चुनाव रद्द किये गये। मैं समझता हूं चुनाव आयोग की दो मंशायें रही होंगी एक तो यह कि एक राष्ट्रीय नेता की जघन्य हत्या की गई उसके सम्मान में चुनाव स्थगित होना चाहिए। तो मंशा यह रही होगी कि राष्ट्रीय नेता के सम्मान में चुनाव स्थगित किये जाएं और दूसरी मंशा यह रही होगी कि इस प्रकार भूतकाल में भी देख चुके हैं जब माननीया श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो देश में कुछ हद तक हिंसा भड़की थी। तो इस प्रकार की आशंका रही होगी कि माननीय राजीव गांधी की हत्या के उपरांत देश में हिंसा भड़क सकती है और चुनाव निष्पक्ष या स्वतंत्र नहीं हो सकता। इस लिए चुनाव स्थगित होना चाहिए। मैं चुनाव आयोग के इस कार्य को औचित्यपूर्ण मानता हूं कि उसने चुनाव स्थगित किया। लेकिन बीस दिन के लिए चुनाव को स्थगित किया, यह अपने में एक बड़ी विडम्बना है। विदड्राल की तारीख के बाद कुल 20 दिन चुनाव के लिए उम्मीदवार को मिलते हैं। लिहाजा जितने भी उम्मीदवार थे वे अपने सभी साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर चुके थे। बीस दिन के लिए स्थगित करने का अर्थ था दूसरा चुनाव। इतने लम्बे अरसे के लिए चुनाव स्थगित करके चुनाव आयोग ने व्यावहारिक दृष्टि से दूसरा चुनाव कराया। इससे साधनहीन अथवा जिसके साधन समाप्त हो गये थे उन उम्मीदवारों को अप्रत्याशित हार का मूंह देखना पड़ा और जो साधन सम्पन्न उम्मीदवार थे उनको अप्रत्याशित जीत का मूंह देखना पड़ा। इसलिए इतने लम्बे समय के लिए चुनावों को स्थगित करना औचित्यपूर्ण नहीं था। तो फिर क्या होना चाहिए। मैं संशोधन पेश करूंगा। मैं दूसरी परिस्थिति भी बताना चाहता हूं। पंजाब में वहां के चुनाव स्थगित किये गये। इसके पीछे भी चुनाव आयोग की यह मंशा रही होगी कि फ्री एण्ड फेयर इलेकशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव उस तत्कालीन परिस्थिति में पंजाब में नहीं हो सकते थे, क्यों, कि आतंकवाद की गतिविधियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई थी। चुनाव स्थगित होने चाहिए थे या हुए, इस मंशा से चुनाव आयोग का यह कार्य औचित्यपूर्ण हो सकता है लेकिन यह परिस्थिति और आशंका कम हो सकती थी या टल सकती थी अगर कांग्रेस पार्टी का रवैया सही रहता। पंजाब में चुनाव घोषणा के तुरंत बाद राष्ट्र के सभी राजनैतिक दलों ने मंत्रणा करके यह निर्णय लिया था कि सभी दल मिलकर चुनाव लड़ें और आतंकवाद का मुकाबला करें। इसके तीन परिणाम निकल सकते थे। एक तो आतंकवाद को झटका लग सकता था, दूसरा पंजाब में डेमोक्रेसी रेस्टोर हो सकती थी, वहां पर लोकतंत्र दुबारा स्थापित किया जा सकता था और तीसरी बात यह है कि हर पार्टी के कितने ही उम्मीदवार जीतकर आते, कम या ज्यादा आते लेकिन राष्ट्र हित सुरक्षित रहता। लेकिन कांग्रेस ने अपने आपको उस मंत्रणा और मसौदों से विदड्रा किया। इसलिए ये

जो चुनाव स्थगित हुए, ये कांग्रेस के कारण हुए और कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में हिस्सा नहीं लिया इसलिए इसके पीछे मंशा चुनाव आयोग की संदिग्ध रही। किस मामले में? कि बगैर किसी सलाह मश्विरे के चुनाव को स्थगित किया गया। तीसरी परिस्थिति यह थी कि कुछ लोक सभा क्षेत्रों में चुनाव रद्द किये गये। मैं क्षमा चाहता हूं अपने साथियों से और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कहना चाहता हूं कि यह चुनाव आयोग का फैसला बिल्कुल सही था। मेरे प्रदेश के जहां से मैं आता हूं, इटावा, बुलंदशहर और मेरठ लोक सभा क्षेत्रों के चुनाव रद्द किये गये। सारा देश, प्रदेश और यह सदन जानता है कि इन तीनों क्षेत्रों में प्रदेश के माने हुए अपराधी व गुंडे चुनाव लड़ रहे थे, जो मुख्य मंत्री के पद पर तथा मंत्री के पद पर आसीन थे, ऐसे असामाजिक तत्व भी चुनाव लड़ रहे थे जिन्होंने . . .

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, he is making a wrong statement. Is it fair to call the Chief Minister of UP a *Gunda*? Would you like (*Interruptions*).

श्री संघ प्रिय गौतम : मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे थे जिन्होंने जबर्दस्ती बूथ कैप्चर कराये। ऐसे असामाजिक तत्व चुनाव लड़ रहे थे। जिन्होंने हत्याएं कीं और कराईं।

श्रीमती कमला सिंहा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मैं बहुत विनम्र होकर आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या "गुंडा" शब्द पार्लियामेंट्री शब्द है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I will look into the records.

श्री संघ प्रिय गौतम : असामाजिक तत्व चुनाव लड़ रहे थे और जबर्दस्ती बूथस पर कब्जा करके वे चुनाव जीतना चाहते थे। राजनैतिक दलों के कुछ उम्मीदवारों ने, जो चुनाव जीतने की संभावना रखते थे, अपने राजनैतिक दलों के नेताओं पर पहुंच की और कहा कि इन चुनावों में रीपोलिंग करा दीजिए। राजनैतिक दलों के सामने उनका निहित स्वार्थ था राष्ट्रीय स्वार्थ नहीं था। अगर ये चुनाव रदद नहीं किये जाते तो ये असामाजिक तत्व चुनाव जीतकर आते और जो राजनीतिक का अपराधीकरण हो गया है उसमें कोई रुकावट न होती। इसलिए यह इलेक्सन कमीशन ने एक ऐसा अच्छा काम किया कि जिससे असामाजिक तत्वों और बूथ कैप्चर करने वाले लोगों के होसले पस्त हुए लोक सभा व विधान सभामें उनका प्रवेश रुका और आइंदा भी उनके हौसले पस्त ही होंगें। इसलिए मैं उनके इस कार्य की सराहना करता हूं यद्यपि इससे मेरी पार्टी को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ। हम जीत रहे थे लेकिन जहां हम 10 सीटें जीतते वहां एक अपराधी भी चुनाव जीतकर आ जाता। हमारा हित जो था वह दलगत था लेकिनन अहित सारे राष्ट्र और समाज का था। इसलिए मान्यवर, मैं चार संशोधन पेश करना चाहता हूं। नम्बर एक, जब किसी राष्ट्रीय नेता की हत्या या किसी कारण से सारे देश या सारे प्रदेश के चुनाव स्थगित करने पड़ें तो सारे राजनीतिक दलों और प्रदेश तथा देश के चुनाव अधिकारियों का सलाह मशविरा लेकर ही चुनाव स्थगित किए जाएं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जहां बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव रद्द करने पड़े वहां पर, मान्यवर, जो चुनाव अधिकारी हैं और जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव रद्द किया जाए, राजनीतिक दलों का सलाह-मश्विरा नहीं लिया जाए क्योंकि उनके अपने निहित स्वार्थ हैं।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि आज बिलकुल परिस्थितियां बदल गई हैं, आप तो आनरेबल जस्टिस रहे हैं – पहले यह था कि चाहे 99 गुनाहगार छूट जायें, लेकिन एक बेगनाह नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन

(श्री संघ प्रिय गौतम]

अब तो कदम कदम पर गुनाहगार ही नजर आ रहे हैं। अगर इस सूरत में उनको छोड़ देंगे, तो गुनाह कम नहीं होंगे। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार मारे जाते हैं। जहां चुनाव की हार-जीत महत्वपूर्ण है, वहां पर यह भी सही है कि उम्मीदवार की हत्या नहीं होनी चाहिए।

इसलिए अगर यह हो जाए कि हत्या होने पर चुनाव काउंटरमांड नहीं होगा, तो किसी भी कैंडिडेट की हत्या नहीं होगी। इसलिए उम्मीदवार की हत्या होने पर चुनाव काउंटरमांड नहीं होना चाहिए, भले ही किसी दल या उम्मीदवार को नफा, नुकसान हो, यह थोडे समय तक होगा।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि अरबों-खरबों रुपये का खर्चा चुनावों पर होता है। उम्मीदवारों से जो हम जमानत की राशि लेते हैं, वह इस जमानत की धनराशि बढ़ा दी जाए और चुनाव के संचालन के लिए चुनाव आयोग पार्टियों से पैसा ले। यह सारा चुनाव आयोग के द्वारा संचलित होना चाहिए, केवल आपका एक मिनट लूंगा यह मेरा आखिरी वाक्य है। टी० वी० अखबारों के माध्यम से, जिस तरह से राजनीतिक दल अपना अपना एडवर्टिजमेंट देते हैं, सरकार की तरफ से उम्मीदवारों की योग्यताएं, उन क्षमताएं, उनकी समाज सेवायें, उनका व्यक्तित्व और इसके अलावा राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्र, का जिक्र करते हुए उम्मीदवारों का प्रचार-प्रसार राज्य के द्वारा होना चाहिए।

यह मेरे चंद सुझाव हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री मालवीय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : मान्यिवर, अभी दसवीं लोक सभा के जो चुनाव हुए हैं, उसके पहले के मुल्क के हालात और परिस्थितियों पर अगर गौर किया जाए, तो किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि हमारे यह पिछले चनाव हिंसा और अराजक्ता के साये में नहीं होंगे।

यदि चुनाव के सिलसिले में मारे जाने वाले और बूथ-कैप्चरिंग और रिगिंग के केसेज की संख्या का उद्धरण यहां पर करूं तो मैं समझता हूं कि समय-ज्यादा लगे और यह इस तथ्य से और इस हकीकत से कोई भी माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि असहमत नहीं होगा और बुनियादी तौर पर हम चनाव सुधार की बात करते हैं, इलेक्सन की बात करते हैं, उसको स्वायतत्ता देने की बात करते हैं और उसी के साथ-साथ जो हमारे चुनाव के अधिनियम हैं, जो हमारे चनाव के क्वानीन हैं, उनमें परिवर्तन लाने की बात करते हैं।

सन् 1952 में सब से पहली बार भारत के नये संविधान और आईन के तहत इस देश में चुनाव हुए थे। जैसा जैसा तजुर्बा बढ़ता गया चुनाव की जो हमारी प्रणाली है और कानून हैं, उनमें तबदीली लाने की कोशिश की गई। पहले आपको याद होगा कि हर पार्टी का अलग डिब्बा हुआ करता था और उस पर उसका निशान लगा रहता था। हर पार्टी के वोट अलग-अलग पड़ा करते थे। धीरे-धीरे तजुर्बे होते गये और हम उस चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाते गये। अभी आपको याद होगा कि 1989 से पहले-पहले के चुनाव में हमारी सरकार ने ही इस बात का फैसला किया कि इलैक्शन कमीशन के सामने जो भी पार्टी इस देश के अंदर चुनाव लड़ती है, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और साथ ही इस बात का अहद करना होगा, इस बात की शपथ लेनी होगी कि वह संविधान के अंदर हमारे आईन के अंदर, हमारी कंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी मौलिक प्रावधान है उसके फंडेमेंट्ल्स हैं और उसका जो प्रीएम्बल है, जो सेक्युलरिज्म की, डेमोक्रेसी की, समाजवादी की और धर्म-निरपेक्षता की बात उसमें कही गई है, उसमें पूरी तरह से विश्वास रखती है। लेकिन यदि चुनाव की हकीकत की तरफ आप नजर उठा कर देखें तो आप देखेंगे कि शायद मेरे प्रदेश में भारत के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद के नशे में चुनाव हुए और एक बात विशेष रूप से देखने को मिली कि एक पार्टी विशेष ने जो मुख्य रूप से इश्यु हैं जो हमारी गरीबी के हैं,

भुखमरी के हैं, तरक्की और विकास के हैं, देश को आगे बढ़ाने के हैं, राष्ट्रीय एकता के हैं, खुद जिओ और दूसरों को जीने दो के हैं, उनको प्रमुखता न दे कर धर्म और जाति के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के सेंटीमेंट्स को, लोगों के जजबात को उभारने की कोशिश की गई, फलतः आपने देखा कि नतीजा किस प्रकार का आया है। दूसरी मुख्य बात जो पिछले चुनाव में नजर आई, मान्यवर, आप जानते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से काफी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों का वहां पर प्रावधान किया गया चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या हमारे दूसरे प्रदेशों के अंचल हों। लेकिन कई प्रदेशों के अन्दर यह देखा गया कि जो सुरक्षा बल थे वह धार्मिक उन्माद से स्वयं प्रेरित थे इसलिए ऐसे बलों से आप किस प्रकार की आशा कर सकते हैं कि वह पूर्ण रूप से चुनाव की व्यवस्था में अनबायस्ड होकर, न्यूटरल होकर, तटस्थ हो कर काम कर सकेंगे। कहीं-कहीं तो यह देखा गया कि रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग इस हद तक एलाउ कर दी गई खास कर पिछले चुनाव में रिगिंग का एक नया तरीका, वैसे तरीका तो पुराना है, लेकिन उसका प्रयोग और इस्तेमाल बहुत ज्यादा पैमाने पर किया गया कि एक-एक व्यक्ति ने कई-कई वोट डाले और जो हमारी ला एंड आर्डर की एजेंसीज थीं वह उस समय तक खामोश खड़ी रहीं जब तक कि शांति और व्यवस्था के लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह बहुत शर्मनाक स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं जिसके अन्दर हमारी जो मौलिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्दर जो मान्यतायें हैं उनको खतरा खड़ा हो गया है। हम कानूनों में चाहे कितने परिवर्तन कर लें, हम इलेक्शन कमीशन को चाहे जितना भी कानूनी व्यवस्था से हथियारबंद कर दें, लेकिन जब तक हमारी मौलिक विचारधारा में लोकतंत्र के प्रति आस्था नहीं जगेगी, देश के लोगों को आस्था है, लेकिन देश के लोगों को उन्माद का शिकार कौन बनाता है, हम बनाते हैं या हमारे राजनेता बनाते हैं, हमारी पार्टियां बनाती हैं, इसलिए हमें पार्टीज के स्तर से ऊंचा उठकर इस राष्ट्रीय समस्या पर सोचना होगा। खेद का विषय है, अफसोस की बात है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वह लोकतंत्र को, लोकतंत्र के मजबूत करने के दृष्टिकोण से नहीं, प्रायः यही देखा गया है कि वह उसका किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में किस प्रकार हम पहुंच सकते हैं उसका प्रयोग करती है। इसके कारणवश देश के अन्दर लोकतंत्र की जड़े पूरी तरह से जम नहीं पाती हैं। अभी आपने देखा कि पहले चुनाव काफी हुआ करते थे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे हरिजन भाई हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जाता था लेकिन अब उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखने में आया है कि जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग है कई जगहों पर विशेष तौर पर बनारस में हमारे एक धार्मिक उन्माद को प्रेरित करने वाली पार्टी ने उनको वोट डालने से रोकने की कोशिश की और एक ऐसा आतंक का माहौल बनाया कि बहुत से लोग डर के मारे नहीं निकले। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के दरम्यान कई जगह कफ्यु लगे और परिस्थितियां ऐसी थीं कि भारत के राष्ट्रपति को प्रथम बार चुनाव के दरम्यान या चुनाव से एक दिन ले देश लोगों को संबोधित करना पड़ा और यह बताना पड़ा कि कौन से मूल्य आपके सामने हैं और किन चीजों को खतरा है, किस तरह से हिंसा हमारे समाज में बढ़ रही है और हिंसा से हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारे वोट का जो अधिकार है वह भी प्रभावित होने जा रहा है। इसलिए हमें बहुत संयम से और नियमों का पालन करते हुए वोट देने की कोशिश करनी चाहिए।

अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मालवीय जी का जो यह प्रस्ताव है इसको जैसा अभी हमारे पहले वक्ता गौतम जी ने कहा कि मुख्य रूप से यह तीन भागों में बंटा हुआ है। पहला भाग यह है कि :

Having regard to the manner in which general elections were postponed after the assassination of former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi...

[श्री सिब्ते रजी]

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा राजीव गांधी की हत्या 21 मई की रात में करीब दस, सवा दस बजे हुई और उसकी सूचना मिलने के तुरन्त बाद जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब थे वह राष्ट्रपति भवन पहुंचे, । और उन्होंने जैसाकि अखबारों में आया है कि राष्ट्रपति जी से मंत्रणा की चुनाव को आगे बढ़ाए जाने के सिलसिले में। महोदय, यदि चुनाव को आगे बढ़ाए जाने के सिलसिले में प्रस्ताव यदि किसी और व्यक्ति की ओर से आता तो मैं उसका स्वागत करता, लेकिन चूंकि मालवीय जी उस समय उस सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे जिस सरकार के जमाने में इस बात का फैसला किया गया कि चुनाव को दो-तीन हफ्ते आगे बढ़ा देना चाहिए, उसे मैं ठीक नहीं मानता । अखबारों से पता चलता है कि जब राष्ट्रपति जी से मंत्रणा की जा रही थी, उस समय हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य डा० स्वामी जी, हमारे कबिनेट सेक्रेटरी नरेश चन्द्र जी और उस समय के देश के प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी भी वहां मौजूद थे, उससे पता चलता है कि जो भी फैसला किया गया चुनाव को दो-तीन हफ्ते आगे बढ़ाए जाने का वह सरकार और इलेक्शन कमीशन की आपसी बातचीत के बाद किया गया ।

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदय, तत्कालीन प्रधान मंत्री जी का बयान यह आया था कि हम से कोई मंत्रणा या सलाह मशविरा नहीं किया गया। जब एक सरकार मौजूद थी, तब राष्ट्रपति से पूछने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री सैयद सिब्ते रजी : आवश्यकता थी क्योंकि राष्ट्रपति के प्रति इलेक्शन कमिश्नर उत्तरदायी है । महोदय, सरकार से भी निश्चित रूप से मंत्रणा हुई है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता और राजीव जी की हत्या के बाद जनरल इलेक्शनस को पोस्टपोन करने के संबंध में हमारी पार्टी को बहुत बड़ी शिकायत थी और आज भी है । हमारी पार्टी ने निश्चित रूप से इस बात की कोशिश की कि चुनाव इतने लम्बे अरसे के लिए नहीं खींचे जायें । महोदय, जैसीकि सूचनायें आईं, जैसीकि अखबारों में रिपोर्टस आयीं कि कई पार्टियों के नेताओं ने इलेक्शन कमिश्नर साहब से कांटक्ट किया और नए चुनाव की तिथि निर्धारित किए जाने के संबंध में उनसे पूछा और सरकार की ओर से भी नई तिथि तय करने के बारे में पूछे जाने का वर्जन आया लेकिन मैं समझता हूं कि किसी पालिटिकल पार्टी से, किसी भी तरीके से फार्मल या अन-फार्मल वे में कोई बातचीत नहीं हुई और बहुत ही आर्बिट्रेरिली तरीके से दो-तीन सप्ताह के लिए चुनाव बढ़ा दिए गए ।

महोदय, इस तरह चुनावों को दो-तीन सप्ताह के लिए आगे बढ़ाए जाने की वजह से देश में हानि हुई, देश में अनिश्चितता की स्थिति बनी और दसवीं पार्लियामेंट जो दो हफ्ते पहले बन जानी चाहिए थी वह नहीं बन सकी। उसके बाद हमारे देश की उस सरकार ने 15-20 दिन के अंदर, जिस सरकार का कोई मौलिक दायित्व चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नहीं रह गया था, उसने कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी कि परछाईं आज भी हमारे ऊपर पड़ रही है। महोदय, इस सबसे ऐसा लगा कि सरकार शायद कुछ निर्णय लेने के सिलसिले में कुछ ज्यादा टाइम चाहती थी और इतिहास इस बात का साक्षी है, निर्णय इस बात के साक्षी हैं कि कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो कि राष्ट्रहित में ठीक नहीं थे ।

श्रीमती कमला सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी एक नियम संबंधी आपत्ति है । महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया था । महोदय, सरकार किसी भी स्थिति में सरकार होती है । जब तक नई सरकार ने ओथ नहीं ली थी, तब तक पुरानी सरकार ही सरकार थी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्रीमती कमला सिन्हा : इसलिए यह कहना असंवैधानिक है और उनको यह नहीं कहना चाहिए था ।

श्री सैयद सिब्ते रजी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैंने कहा है वह पूरी अथारिटी के साथ कहा है । महोदय, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता । अभी तक यह होता रहा है । यह कांस्टीट्यूशन में हो या न हो, लेकिन कांस्टीट्यूशन के साथ हमारी कुछ ट्रेडीशंस होती हैं जोकि कांस्टीट्यूशन का एक हिस्सा बन जाती हैं और अभी तक यह परम्परा रही है कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, वह सैद्धांतिक पालिसी डिसीजंस नहीं लेती है । और पिछले चार महीने की जो सरकार थी उसने निश्चित रूप से उस परंपरा की अवहेलना की है, जिसके बारे में अभी हमारी बहन ने एतराज उठाया ।...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You go ahead.

SHRI SYED SIBTEY RAZI: I am taking it lightly. I am not serious about her remarks.

तो मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल हमारी पार्टी के नेता, जो प्रधान मंत्री हैं इस वक्त नरसिंह राव जी, वे 22 मई को ही इस सिलसिले में राष्ट्रपति जी से मिले और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पिटीशन भेजी कि इलेक्शन को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, गुजरात के मुख्य मंत्री ने कहा, कई प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने कहा कि इतना ज्यादा इलेक्शन को आगे बढ़ा देने से जनता के कष्ट बढ़ सकते हैं, मानसून आ जायेंगे और इसी के साथ-साथ खर्चा भी बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाएगा । आज हमारी आर्थिक स्थिति की बात भी बार-बार आती है और चुनाव की वजह से भी हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत दबाव पड़ता है ।

हम एक विकासशील देश हैं । इस विकासशील देश में जिस तरह से हंग पार्लियामेंट आ रही है । उससे भी एक बहुत चिंता बढ़ती है । हमारा यह मौलिक दायित्व होता है कि हम जनता का विश्वास जो पांच साल के लिए प्राप्त करते हैं उस पांच साल के जनता के विश्वास को लेकर हमको खड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कोट करना चाहूंगा, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के दिनांक 23 मई, से --

> "Samajwadi Janata Party perhaps was the only one party which did not oppose the deferment of elections to mid-June. Mr. Subramanian Swamy said, he had conquered with the Election Commission."

यह हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली 23 मई का है, जिसमें से मैंने अभी यहां उद्धरण रखा है । मैं यह कह रहा था कि यह कहना कि इसमें नुकसान किसका हुआ है ? यह तो सारी दुनियां जानता है कि कांग्रेस पार्टी को ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है इलेक्शन को बढ़ाने की वजह से ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पंजाब के इलेक्शन के बारे में यदि बात की जाय तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह कहूंगा कि पंजाब में भी इलेक्शन जिद के कारण कराये जा रहे हैं । जिस दिन से पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी सत्ता में आये, उन्होंने देश के उन लोगों से, जिन्हें हम खाड़ाकू कहते हैं या आतंकवादी कहते हैं या टेररिस्ट कहते हैं, जिस शब्द से भी उनको संबोधित किया जाए, हम संबोधित करने के लिये तैयार हैं तो उनके साथ बातचीत करनी शुरू की और कुछ ऐसी जगहों पर बातचीत करनी शुरू की, जिससे अंदाजा लगा कि वह कुछ प्राइवेट बातचीत भी इस सिलसिले में कर रहे हैं और देश को कांफीडेंस में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । जब देश की जनता ने दबाव डाला कि जो भी मैमोरेंडम उन प्रतिनिधियों ने, जो पंजाब से आये थे, दिया है वह डिसक्लोज करें तो बड़ी मुश्किल से वह चीज देश के

(श्री सैयद सिब्ते रजी)

सामने आई । मैं यह कह रहा था कि उस समय से एक इमैच्योर एप्रोच पंजाब-समस्या के बारे में चलती आ रही थी । आपने देखा कि पंजाब के इलेक्शन घोषित हो गये और बराबर इस देश के लोग इस बारे में चिंतित रहे । अब देश के लोगों को आप कैसे पहचानेंगे? क्या देश का कोई साधारण कार्यकर्ता चलते हुये राष्ट्रपति भवन में जाता है कि साहब, यह होना चाहिये या यह नहीं होना चाहिये । देश के लोगों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टियां करती हैं और देश के लोगों की पल्स जो है वह राजनीतिक पार्टियां हैं और देश के हित को भी राजनीतिक पार्टियां समझती हैं । सामजवादी जनता दल हो सकता है कि पक्ष में रहा हो पंजाब के इलेक्शन के, लेकिन इस देश में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से पहले दिन कहा कि पंजाब में चुनाव नहीं होने चाहियें क्योंकि पंजाब में परिस्थितियां ऐसी नहीं है । केवल ला एंड आर्डर की बात नहीं आती, फौज लगाकर चुनाव करा दीजिये, चुनाव हुये हैं पंजाब के अन्दर, लेकिन परिस्थितियां बहुत गंभीर थीं । आप स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिये पंजाब के लीडर्स के, कि वह इस बात पर तुले हुये थे कि यदि इलेक्शन हुये तो इस इलेक्शन का इस्तेमाल एक रेफरेंडम की सूरत में करेंगे, इलेक्शन का इस्तेमाल देश से टूटने के सिलसिले में करेंगे । इसलिये कांग्रेस ने, सी० पी० एम० ने, सी० पी० आई० ने और दूसरे कई दलों ने इसका विरोध किया और कहा कि पंजाब में इलेक्शन नहीं होने चाहियें ।

मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जिस तरह से बाईकाट के सिलसिले में पंथिक पेनल ने इस बात की घोषणा की 10 जुलाई को, जिसको हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली से अखबार में कवरेज किया गया है, उसमें कहा गया है—

"Panthic Committee headed by Dr. Sohan Singh and its five supporting militants organisations has once again reiterated their resolve to boycott the polls in Punjab. The Committee also asserted that it was capable of seeking people's support to make this boycott a total success."

आगे वह कहते हैं कि मान्यवर, मैं 5 मिनट और लूंगा:—

"The Committee said that the Indian Constitution which has been amended 65 times by the Brahmanical rulers is only meant to subjugate the people in this country. 'We reject this Constitution and any election under this. Any Government created in Punjab through so-called votes will be just a local agent of Delhi. Those people who are lost in their own whirlpools claim that once they are elected they would stand up against the Centre and pass a resolution in the Assembly in favour of Khalistan."

मान्यवर, अब इस बात का फैसला इस देश की जनता करेगी कि ऐसी परिस्थितियों में जब कि षडयंत्रकारी इस बात पर तुले बैठे थे कि चुनाव का प्रयोग इस देश के अन्दर लोकमत और लोकतंत्र की प्रक्रिया को बहाल करने के लिये नहीं बल्कि निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिये किया जायेगा, ऐसी परिस्थितियों में अगर चुनाव हो जाते तो उससे कितना बड़ा नुकसान होता । आप जानते हैं कि मान साहब ने भी उस चुनाव के बाद किस तरह का स्टेटमेंट दिया । यदि भारत के कांस्टीट्यूशन में विश्वास है तो इस भारत में कभी चुनाव पोस्टपोन नही हुये । आसाम में चुनाव पोस्टपोन हुये, 12 जून को चुनाव होने वाले थे । अभी राजीव जी की हत्या के बाद इस देश में चुनाव पोस्टपोन हुये, इसके पहले भी कई जगह चुनाव पोस्टपोन हो चुके हैं । उन्होंने कहा—

I quote from the *Hindustan Times* of 5th July:

"We want power and we have chosen ballot as the method."

आगे कहते हैं:—

"Thus came a new line that the United Nations be approached to 'tell the Government of India to stop treating Punjab as a colony and restore people's democratic rights.' The UN should do what it had done in Namibia and other areas. Each candidate was given a format of a telegram to be filed to the U.N. Secretary General."

तो इस प्रकार से वहां कभी यूनाइटेड स्टेटस के प्रेजीडेंट बुश को तार लिखा जाता है कि आइये, यहां ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है और इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन्स की एजेंसियों को इन्वाल्व होने की बात की जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि शायद पंजाब हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि पंजाब के इलेक्शन जो पोस्टपोन हुये, वे बहुत उचित हुये और निश्चित रूप से जहां परिस्थितियां ऐसी हों वहां केवल पोस्टपोनमेंट ही नहीं, बल्कि आवश्यकता हो तो अनिश्चितता को समाप्त करने के लिये इलेक्शन कमीशन या जो हमारा पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट है उसमें इस प्रकार से प्रावधान होना चाहिये कि उसमें किसी प्रकार से भी अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वहां चुनाव केवल पोस्टपोन ही नहीं, वहां चुनाव समाप्त कर दे और कुछ दिनों के बाद जब वहां हालात नार्मल हो जायें तो चुनाव की प्रक्रिया फिर शुरू हो सकती है।

मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि इलेक्शन को जो काउंटर मैड करने का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं समझता हूं कि यह पहली बार देश के सामने आया है, और जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग इलेक्शन में हुआ है और जिस तरह से धर्म का प्रयोग इलेक्शन में हुआ है, ऐसी कांस्टीच्युएंसीज में, ऐसे क्षेत्रों में जब इलेक्शन काउंटर मैड किये गये हों तो वह बहुत ही उचित बात है : (व्यवधान)...

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : धर्म के नाम पर नहीं किये गये।

श्री सैयद सिब्ते रजी : धर्म के नाम पर नहीं किये गये, तो वहां भी किये जाने चाहिये थे। जैसे बनारस के क्षेत्र के हमारे जो कांगेस के एम०पी० थे उन्होंने भरसक प्रयास किया क्योंकि वहां खुलेआम कोशिश की गई कि धर्मांधता का सहारा लिया जाय और वहां जो माइनारिटीज के लोग हैं उनको वोट न दिया जाय। लेकिन इटावा वगैरह में जो चुनाव हुये, तो वहां निश्चित रूप से यह देखा गया कि वहां पर जो प्रदेशों के मुखिया हैं उन्होंने बूथ केप्चरिंग करते हुये उसमें हिस्सा लिया। मैं किसी व्यक्ति पर पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। सवाल यह है कि इस देश के अन्दर वह सिस्टम रहेगा या यह नहीं जिसको हम लोक तंत्र कहते हैं, जिसको हम जम्हूरियत कहते हैं?

बिहार के अन्दर क्या हुआ? बिहार के अन्दर भी, मान्यवर,, आप जानते कि किस प्रकार से हुआ। आज यह कहा जा रहा है कि असेम्बली के लिये इलेक्शन हुआ तो इन चीजों को तो फलां पार्टी के लिये छोड़ देते हैं बाकी हमारी पार्टी के लोग होंगे। यह आस्था कमजोर कर रहे हैं। यह 10,20,25 साल का सवाल नहीं है, यह हारे और आपके सत्ता में रहने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हिन्दुस्तान तानाशाही की तरफ चला जायेगा या लोकतंत्र के जरिये अपने देश के अन्दर हकूमत करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं, समझता हूं कि इलैक्शन कमीशन की निश्चित रूप से कुछ पावर्स दी जानी चाहिए। लेकिन उसी के साथ-साथ मन और मस्तिष्क जो है राजनीतिज्ञों का, उन पावर्स, उन प्रावधानों के साथ जुड़ना चाहिये तभी यह संभव हो पायेगा कि हम निश्चित रूप से यह कह सकेंगे कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें बिना झिझक के, बिना डर के, बिना धर्म या जाति की भावना से प्रेरित होकर हम अपने अच्छे

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

कैंडीडेट को वोट देते हैं–विकास के लिये, देश को बढ़ाने के लिये, लोकतंत्र के लिये और स्वतंत्रता को स्थिर रखने के लिय। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us hear the former Minister, Mr. Subramanian Swamy.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Mr. Vice-Chairman, my friend, hon. Shri Malaviya, has brought forward a Resolution in which there are three points of disapproval. He has asked for a legislation which he has not spelt out, what it should be. But he feels that to prevent these three points there should be a legislation. The first point is about the long postponement of the elections after the first round. The second point deals with the countermanding. The third one is on the postponement of the election.

On the question of the undue or allegedly long postponement of the election dates after the first round following the assassination of Shri Rajiv Gandhi, there has been a fair amount of coverage in the newspapers, some of which true and some of which false. There was a lot of confusion on this score. But I certainly did not expect Shri Malaviya to make this as point of disapproval because when we took the decision, certainly he was not there. He does not know the entire background of how the Chief Election Commissioner took this decision. But at no stage, I think, during the time he was a Minister, did he express disapproval of this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I think he is not listening to this.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: That is all right. That is diplomatic.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I don't think he is making any allegation.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: That is right. So, the question really is that there has been so much of mystery attached to this postponement. First of all everybody knows the law. The Government cannot postpone any election. It is only the Chief Election Commissioner who can do so. But the Government impinges on his decision because the Government is the body, is the agency which supplies the forces which are necessary for him to conduct an election. So, if the Government does not co-operate with the Chief Election Commissioner, he will have no alternative but to fall in a particular direction as far as the decision is concerned.

I would like to use this parliamentary forum to put the record straight. That night as soon as we got the information of Shri Rajiv Gandhi's assassination—the Prime Minister at that time was in Orissa—I myself conveyed to him the news. He arrived here in the early hours of the morning. I think it was 2.00 or 2.30. I went to receive him. Both of us drove straight to the Rashtrapati Bhavan where the Chief Election Commissioner was already there.

Sir, I think, first of all, before approving or making criticism of the decision of the Chief Election Commissioner to postpone the election for 20 days one must know the circumstances that prevailed. The dates of 23rd and 26th for the second and the third round as well as the 6th of June for Assam were fixed on certain assumptions and calculations of the force movement. We knew that it was going to be a very difficult election. The forces were limited. Therefore, we had to spread out the election in three rounds, then keep Assam completely separate and, of course, Punjab even farther off. Certain calculations were made on how much time the forces would take to move, how much rest they should take and so on. These calculations were made, and it is on this basis that the dates, 20th, 23rd, 26th for the elections as a whole and June 6 for Assam were fixed. When we met that night and the discussion took place, we were very clear that the Assam elections should take place. We knew that the Assam elections could not be postponed

because the question of the monsoon affecting Assam much more than any other State was there. At the same time, we had decided on a mourning period of one week for Shri Rajiv Gandhi. The assassination was on 21st night. So, from 22nd morning it actually takes you right up to 29th. In that circumstance a decision had to be taken quickly. If the Chief Election Commissioner for example, decided to hold the elections on 1st June, we would not be in a position to move the forces back into Assam for the 6th. So, the Assam elections would have to be cancelled or postponed, which he could not do because there was no scope for further extending the date for Assam elections. So, if we hold the second or third round say after 29th, say on 30th or 31st, and after that after two days, then there was just no time to move the forces into Assam. So, either you have to give up Assam or you have to think of another date. It is in that context the idea came that once you calculate the force movement, there was just no possibility to hold the elections before 10th of June. In that context an early decision had to be communicated, because it was already the 22nd morning and the polling was due on 23rd. Trucks and lorries for carrying ballot papers and other requirements for elections would start moving. They had to be stopped. In fact, in the context of a far-off region of Manipur, the message never reached. In fact, on 23rd they held the polling there and also in Arunachal Pradesh. Therefore, a decision had to be announced that morning. So, the Chief Election Commissioner's total contribution at that time was after we told him of the force position, that he would not announce a postponement of elections without also announcing the date for the next poll. It is on that insistence that it had to be announced early that morning. It is in that total context, after all the facts were given to him, that he took a decision. I must say, once he took the decision we had no complaints about whether it should be shorter or longer. In my opinion given the total circumstances of the capacity of the machinery we had for holding free and fair elections. I don't think we could have held it on a date earlier than it was held. Of course, we could have held it earlier if we had decided to sacrifice Assam. But we had decided that both in Assam and in Punjab, we should hold elections. So, I don't think that we should make the postponement of the elections as a point of disapproval of the action of the Chief Election Commissioner. I think, given the facts that we explained to him, the circumstances and the Government's capacity to move the forces, he had just no alternative but to fix the date. That he did. Therefore, I would say it would be much better if we inform ourselves of the actual position before making a criticism of the Chief Election Commissioner. I may say that if one looks at the votes polled by the political parties, the biggest loser is the Samajwadi Janta Party. Our votes actually declined by 33 per cent between the first round and the second and third rounds. In the case of all the other political parties, the votes have declined except in the case of the Congress party, whose votes have gone up. (*Interruptions*). So, except for the Congress Party, whose votes went up, all the other political parties suffered a vote erosion on the second and third rounds. But they were 5 per cent, 7 per cent or 8 per cent. We are the ones who got not much votes, but there were some States where we had very substantial votes, and our votes actually declined between the first and the second and the third rounds by 33 per cent. I therefore, do not think it would be fair to allege that we had postponed this to improve our electoral prospects. If anything, we lost by it.

We have the distinguished Minister for Law here to intervene. So, I would not take much time. But there are two or three other points that I would like to make in brief. First of all I would like to say that some countermadng decisions which the Chief Election Commissioner took we did not like them. For instance, in Etawah he counter manded the elections. We totally disagreed with the decision of the Chief Election Commissioner. The people who were pushing for it, who were arguing for it, who were the most vociferous in criticising the Chief Election Commissioner for other things. The

[Shri Subramanian Swamy]

countermanding of elections in Etawah was a hasty decision on the part of the Chief Election Commissioner. In Bihar except two or three elections in the South Bihar, I don't think there was any election which was fair. Anybody who wants to do justice to our election process, I think, should see that fresh elections take place in Bihar because every single constituency was rigged by the Chief Minister of Bihar.

SHRIMATI KAMLA SINHA: I am on a point of order. The former Law Minister has no moral right to say that Bihar elections were rigged. A number of times the Chief Election Commissioner has tried to prove it but he failed to do so. Mr. Vice-Chairman, this should be removed from the record.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It cannot be removed. It is his impression which he is giving to the House ... (*Interruptions*)...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: She is following the normal politics of Laloo Yadav. I cannot do it ... (*Interruptions*).

मैं तो कह रहा हूं कि जो सारे चुनाव बिहार में हुये उनको रद्द कर देना चाहिये .... (व्यवधान)

The Election Commission was wrong in countermanding elections to the Patna constituency only. In fact, he should have countermanded practically every constituency in Bihar except three or four constituencies in South Bihar.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Your party candidates lost even security deposits.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I am not worried who secured the security deposit or who has lost it. I am not bothered about that. I am bothered about the fact that the elections in Bihar are actually an insult to our democracy and the earlier we hold elections in Bihar, the earlier we get rid of the Government of Laloo Prasad Yadav, the better for the country.

SHRIMATI KAMLA SINHA: I object to it. This shofld be removed from the proceedings.... (*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Where is the objection?

SHRIMATI KAMLA SINHA: He cannot blame the State Government. He has named the Chief Minister of Bihar, Mr. Laloo Prasad Yadav.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please understand, it is not unparliamentary. It is his view. He can always say this.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, he referred to the question of rigging.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Are you raising a point of order.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Please listen to me, I don't think rigging has taken place only in Bihar, it has taken place elsewhere also. Perhaps, this is a big problem. That is why I did not want to interrupt him. But when he said that Bihar Government should be dismissed, I think it is...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I did not say that. I said the earlier we hold elections in Bihar, the better it would be for the country.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: You said that Bihar Government should me removed.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I did not say.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Please check up the record.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: If I ask for the dismissal, there is nothing wrong about it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is the objection?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: My objection is that he cannot use this debate...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: You are impinging on my parliamentary right. Please remember that.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I am not impinging on your right. I am not only saying that we should not make an irresponsible statement about a State Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is a liberty to make statements.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: You want it to be irresponsible?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: There is nothing irresponsible. If Mr. Gurupadaswamy agrees to a House Committee to investigate the illegalities in the Bihar elections, I will move evidence to prove it to the hilt that the elections that have taken place there were rigged and should have been countermanded in toto.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Swamy, you provoke people and this is he...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Where have I provoked?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have provoked Mr. Gurupadaswamy. What more you want?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: He has to defend Laloo Prasad Yadav; otherkise he will take him to task.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : बहुत ज्यादा ताकत के साथ हम बिहार में आयेंगे ।... (व्यवधान) दूसरों को यह नहीं मिलेगी वह सारी सीटें लालू प्रसाद यादव के पक्ष में जायेंगी ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, what he says is, if elections are held in Bihar again, he will see to it that every seat is won by Laloo Yadav's party. So, this is the mentality that is permeating today. (*Interruptions*). And he will not allow anybody else. I am on the concluding point.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : ऐसी बात नहीं है । बिहार की जनता ने सबको इस तरह से समझ लिया था कि कोई भी चुनाव जीतने की पोजिशन में नहीं है जनता दल के अलावा (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): इसीलिये लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यदि कोई जीता तो दिल्ली नहीं पहुंच पायेगा । (व्यवधान)

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : उन्हें अपनी जनता पर पूरा भरोसा था । श्री लालू प्रसाद यादव को अपनी लोकप्रियता का पता था । उन्हें पता था कि दूसरे लोगों की जमानत तक जब्त हो जायेगी । (व्यवधान) उन्हें अपनी जनता की मोहब्बत मिली हुई है । (व्यवधान)

SHRIMATI KAMLA SINHA: What Dr. Swamy said is totally untrue. (*Interruptions*).

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI S. JAIPAL REDDY): Mr. Vice-Chairman, Members are entitled to their views. My only objection is, allegations of this kind cannot be made on the floor of this House against a Chief Minister or in regard to elections.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I have not made any allegations. You have not hear what I said.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am referring even to Mathurji's words.

SHRI JAGADISH PRASAD MATHUR: I have said only what appeared in the press.

SHRI S. JAIPAL REDDY: It was denied by Mr. Laloo Yadav vigorously and repeatedly. Senior Members like Mr. Mathur would do well by nothing it.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: He has only repeated what appeared in the press. He himself has not made any allegation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Whatever both of them spoke is on record. Mr. Swamy, please go ahead.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: So, I hope the Leader of the Opposition stands corrected. 'Laloo Yadav' is not an unparliamentary word. I can use it and bring to the notice of the House what happened. And there is plenty of evidence on record to show what happened there. In fact, I would say, the Chief Election Commissioner was soft on the Bihar elections. He could have been much harder. I would, however, like to conclude by saying that while we were very unhappy with many of the decisions of the Chief Election Commissioner, I found, by tabulating, that practically every party was unhappy with some decision of his. For example, the Janata Dal got their Chakra symbol. That was totally a wrong decision. But the Janata Dal never complained about that. They complained about other things. The decision to hold elections in Assam was disapproved by the Congress party. There were decisions which the BJP disapproved. There were decisions which the SJP disapproved. I would say that this probably points to the fact that if anything, the Chief Election Commissioner was uniformly unfair to everybody. And therefore, that is in fact a sign of his fairness. (*Interruptions*). The postponement of elections in Punjab was a totally wrong decision. We have disagreed with the Congress party from the beginning and this, I can say for Mr. Chandra Shekhar and myself. We have not even agreed to this. Many of my colleagues were with the Congress party on the Operation Bluestar. So was the BJP. So were many people of the Janata Dal. They supported the Operation Bluestar. But Mr. Chandra Shekhar and myself did not even agree with the Operation Bluestar. We have always had disagreement with the Congress party on the question how to solve the Punjab problem. We felt that election was the best way. And we held it or we tried to hold it. Now, what did the Chief Election Commissioner do? Was there any decision that he took and what was the basis. I do not want to go into it because he has not told anybody. I do not even know. I was, at that time, the Law Minister. He should have informed us that he was going to take this decision. But we also learnt it from the newspaper in the morning, the morning in which Mr. Narasimha Rao took the oath of office. And we think that it was a very wrong thing for the Chief Election Commissioner to do that. But I must say that even after all these, the loose way in which the word 'impeachment' has been used against the Chief Election Commissioner is totally uncalled for because impeachment was never meant for a constitutional authority who made wrong decisions. If there was a wilful, mala fide exercise of power, where there was a clear hint of corruption, where there was a total abdication of his responsibility, that is the only occasion on which the word "impeachment" can be even thought of against the constitutional authority. I think if every time some constitutional authority takes a decision which is not to our liking and we start bandying about impeachment and we use the numbers to terrify the people, then you will never get good people to occupy these offices and the Chief Election Commissioner's office is a most difficult office and it is here where we should give the maximum cooperation and see that he is able to exercise his authority to the best of his ability and if some decisions go wrong, we should have the right to criticise it. But at the same time, we should understand that he is after all a human being and he is not incapable of taking a wrong decision. I would like to take this opportunity to commend the actual work done by the Chief Election Commissioner during this election. In a very difficult circumstance, he did conduct the election. The elections were conducted and I would also say that he brought in a new significance and a new importance to the

office of the Chief Election Commissioner which was never there before. Thank you.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन के वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने जो संकल्प उपस्थित किया है, उसका समर्थन करता हूं । इस संकल्प में तीन बातें कहीं गई हैं। पहली बात तो यह कही गई कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के पश्चात आम चुनावों के स्थगित कर दिये जाने, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव रद्द कर दिये जाने और पंजाब राज्य में लोक सभा और राज्य विधान सभा के चुनाव अचानक स्थगित कर दिये जाने से, जिससे कि उस राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बहाल किये जाने को गंभीर क्षति पहुंची है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री एम० ए० बेबी) पीठासीन हुए]

इस प्रकार से जो कार्यवाही हुई है उसके दुष्परिणाम सबके सामने आये हैं। इसलिये माननीय मालवीय जी ने इस तरह का संकल्प उपस्थित किया है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और चुनाव प्रक्रिया में और चुनावों का जो कानून है उसमें संशोधन किया जाये। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं । पंजाब में जो चुनाव स्थगित किये गये, यह जनतंत्र के ऊपर और वहां के रहने वालों के ऊपर और उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर चुनाव आयोग का कठाराघात था, एक तरह से ज्यादती थी, मैं यह कहने के लिये भी तैयार हूं क्योंकि समाजवादी जनता दल की सरकार ने और इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने बड़ा साहसिक कदम उठाया था। 1987 में वहां की सरकार को भंग कर दिया गया और इतने लम्बे अंतराल तक कांग्रेस की और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार रही, लेकिन कोई भी सरकार चुनाव कराने का साहस नहीं कर सकी । लेकिन श्री चन्द्रशेखर जी ने और समाजवादी जनता दल ने चुनाव कराने का साहस किया और मैं समझता हूं कि पंजाब की जनता ने भी इसका स्वागत किया । सारी तैयारियां हो चुकी थीं और चुनाव के लिये कुछ घंटे शेष रह गये थे, वहां के राज्यपाल ने दूरदर्शन पर और रेडियो पर अपना संदेश भी प्रसारित कर दिया था कि पंजाब में शांतिमय ढंग से चुनाव हों, इस तरह की अपील भी कर दी थी । वहां के मतदाता एक सरकार चुनने के लिये, अपने प्रतिनिधि चुनने के लिये तैयार थे । ऐसे समय में अचानक चुनाव स्थगित कर दिया गया । मैं समझता हूं कि यह चुनाव आयोग के लिये अच्छी चीज नहीं थी । इसमें उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। चुनाव आयोग का यह कार्य जिस किसी कारण से भी हुआ हो लेकिन मैं इसे मनमाना और तानाशाह रवैया कहने के लिये तैयार हूं । महोदय, मैं पंजाब के बारे में लंबा भाषण नहीं करना चाहता लेकिन मैं दो-तीन लाइनें पढ़कर सुना देना चाहता हूं । 15 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि

> "The Governor of Punjab has stated that not only was he not consulted, but on Mr. Seshan's assurance that there would be no postponement he has asked the people in a broadcast to shed fear and vote for a responsible Government after four years of continuous President rule. He was rudely woken up around 3.00 A.M. and told of the postponement. No reason was given to him."

इस तरह राज्यपाल जी को सदमा पहुंचा और उसके कारण वहां के राज्यपाल ने अपना त्यागपत्र भी पेश कर दिया। मान्यवर, इस तरह से जनतंत्र नहीं चल सकता है । यह जरूर है कि चुनाव आयोग के अधिकार असीमित हैं। उनके अधिकार बांधे नहीं जा सकते। लेकिन

[श्री ईशदत्त यादव]

मान्यवर, अगर इस तरह का काम होगा तो जनतंत्र से लोगों की आस्था समाप्त हो जायेगी । इसलिये मैं चुनाव आयोग से, पंजाब में जो उसने चुनाव स्थगित किया, उससे अपनी असहमति प्रकट करता हूं और मैं इसको अच्छा नहीं समझता ।

दूसरी चीज यह है कि मान्यवर, कि इस देश के एक बड़े नेता राजीव जी की निर्मम हत्या कर दी गई और यह हत्या 21 मई को हुई । उसके बाद 23 मई और 26 मई को, इन दो चरणों में जो चुनाव पूरे होने वाले थे– 23 मई के चुनाव को स्थगित करने का तो कोई कारण हो सकता है क्योंकि 21 तारीख को राजीव जी की हत्या हुई—लेकिन जो चुनाव 26 मई को होने वाले थे, उनको स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं, कोई कारण नहीं । मान्यवर, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई बहस में श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जनता प्रभावित हुई और किस तरह से कांग्रेस को वोट पड़े । इन चुनावों को स्थगित कराने से दूसरी पार्टियों के वोट किस तरह से कटे और किस तरह से लहर आई या दूसरे क्या कारण थे, यह उन्होंने विस्तार से बताया है । चुनाव आयोग ने जो चुनाव स्थगित किये, या जो तारीखें बढ़ाई, 12 जून और 15 जून की, यह बिल्कुल उचित नहीं था । इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं और मैं ही नहीं, इस देश के आम लोगों की राय है कि चुनाव आयोग किसी एक व्यक्ति के अधिकार में पूरे का पूरा नहीं रहना चाहिये । मान्यवर, अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने एक निर्णय दिया है । यह नयी दिल्ली से प्रकाशित होने वाले नवभारत टाइम्स दिनांक 27 जुलाई 91 में है । इसमें यह छपा है कि उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय बना दिया जाय क्योंकि ऐसा करके आयोग की विवेकशीलता बनी रहेगी और उसकी मनमानी समाप्त करने में मदद मिलेगी ।

मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा । यह लंबा जजमेंट है । एक याचिका पर अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने कहा है कि जब किसी संस्था के पास बहुत अधिक अधिकार हों और वह किसी के प्रति जवाबदेह न हो तो उचित यही होगा कि ये अधिकार एक से अधिक हाथों में सौंप दिये जायें । यानी संस्था को बहुसदस्यीय बना दिया जाय । किन्तु पीठ ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि "इन शक्तियों का इस्तेमाल कोई एक व्यक्ति न करे भले ही वह सबसे अधिक बुद्धिमान क्यों न हो । यदि चुनाव आयोग के ढांचे में ऐसे परिवर्तन नहीं किये जाते हैं तो यह लोकतांत्रिक नियमों और परम्पराओं के विपरीत होगा ।" इस सदन में चुनाव सुधारों के बारे में बहुत बार बहस हुई है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से चाहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो वरन इस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वह चरमरा जायेगा और जनतंत्र से लोगों का विश्वास समाप्त हो जायेगा । अगर चुनाव आयोग इस तरह से मनमाने ढंग से काम करता रहेगा, निर्णय लेता रहेगा तो जनता की जनतंत्र से आस्था समाप्त हो जायेगी । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और चुनाव के कानूनों में इस प्रकार के संशोधन करे । मान्यवर, चुनाव आयोग ने तीसरा काम किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में है लेकिन किसी के अधिकार क्षेत्र में पावर में ज्युरिस्डिक्शन में जो चीजें होती हैं हमेशा ज्यूडिशियल डिसक्रिशन, न्यायायिक विवेक का प्रयोग किया जाता है न कि डिक्टेटोरियल विवेक का इस्तेमाल किया जाये । श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के भाषण से और बातों से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में इटावा, मेरठ और बुलंदशहर के जो चुनाव रद्द किये गये उसका कोई पर्याप्त कारण नहीं है और इटावा के लिये मैं कहने के लिये तैयार हूं कि इटावा लोक सभा का जो चुनाव रद्द

किया या मुझे इसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी है । डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग आफिसर ने किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की और चुनाव आयोग ने चुनाव निरस्त कर दिया । मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस पर राजनीतिक दबाव पड़ा था इटावा का चुनाव रद्द करने के लिये । क्यों राजनीतिक दबाव पड़ा था ? इसलिये कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़ रहेथे । इसलिये काउंटरमंड किया गया । उसके बाद 15 जून को चुनाव होने वाला था । अगर मुलायम सिंह जी का चुनाव काउंटरमंड कर दिया जायेगा तो प्रदेश की जनता पर बुरा असर पड़ेगा और पड़ा भी । मान्यवर, कोई आधार नहीं था इटावा के चुनाव को निरस्त करने के लिये (व्यवधान)

श्री शांति त्यागी : अच्छा हुआ, नहीं तो हार जाते ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आपका कोई नेता वहां नामीनेशन फाइल कर सकता है । अपनी पार्टी के किसी भी नेता को वहां खड़ा कर दीजिये जसवन्त नगर चुनाव क्षेत्र में (व्यवधान) अपने बड़े से बड़े नेता को नामीनेशन फाइल करवा दीजिये । मैं चैलेंज करता हूं । (व्यवधान)

श्री कपिल वर्मा (उत्तर प्रदेश) : जनता ने आपको बता दिया है कि आपकी हालत क्या है (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जनता राज बदलती रहती है वर्मा जी ।

श्री कपिल वर्मा : अभी तक आपको अपनी स्थिति मालूम नहीं हुई क्या? कुल चार पांच सीटें लोकसभा में लेकर आये हैं आप ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : 1977 में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी और 85 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली थी लेकिन बाद में वे सत्ता में आ गई । (व्यवधान)

SHRI SYED SIBTEY RAZI: They are in a fool's paradise.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR). You please conclude.

SHRI ISH DUTT YADAV: I am concluding, Sir.

श्री बलराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, लोग तो यह कहते हैं कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने काउंटरमंड कराया । (व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपके कहने पर मैंने कहा था क्योंकि आपने रात को मुझे टेलीफोन किया था । (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, मझे तो तरस आता है इस सरकार पर । मैं समझता हूं कि इन लोगों को बोलने का हक भी नहीं है क्योंकि मान्यवर जनादेश . . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह माइनारिटी सरकार है (व्यवधान) उसके बाद भी इस तरीके से बात करते हैं ये लोग ।

(व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव : उधर जो लोग बैठे हैं ये लोग बहुत कुछ हम लोगों की मेहरबानी पर बैठे हैं । मैं इन लोगों पर तरस करता हूं । इनको कोई जनादेश प्राप्त नहीं है, इसके बाद भी ये बैठे हैं ।

(व्यवधान)

साइड बाइ साइड अंताक्षिरी चलेगी क्या ?

क्या विडम्बना है, क्या विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त

[श्री ईश दत्त यादव]

मंत्री, इनमें से कोई भी किसी सदन का सदस्य नहीं है । सरकार चल रही है, और इसके बाद भी ये बोलने के लिये साहस कर रहे हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : परम्परा के विपरीत गृह मंत्री भी राज्य सभा से लेना पड़ा है ।

श्री कपिल वर्मा : अपर हाउस को छोटा समझते हैं क्या । अपर हाउस बड़ा हाउस है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय यहां भी आप माइनारिटी में हैं ।

श्री कपिल वर्मा : आप माइनारिटी मेजारिटी की बात मत कीजिये ।

(समय की घंटी)

SHRI ISH DUTT: I am concluding, I will not take more than thdee minutes.

मान्यवर, आपके माध्यम से अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो मेरे सीनियर भी हैं कि गंभीरता से सुनें, चिंतन करें और इस समय चिंतन न करें तो रात में चिंतन जरूर करें **(व्यवधान)** मैं इस देश के लिये कह रहा हुं, इस देश के जनतंत्र के लिये कह रहा हू, इस देश में स्वस्थ जनतांत्रिक प्रणाली को कायम रखने के लिये कह रहा हूं, यह अपनी और आपकी पार्टी के लिये नहीं कह रहा हूं । इस देश के चुनाव कानूनों में अगर सुधार नहीं किया गया तो इस देश में जनतंत्र नहीं टिकेगा ।

मैं इटावा के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह कहने के लिये तैयार हूं कि इटावा का चुनाव काउंटर-मंड करना जनतंत्र की हत्या थी । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार गंभीरता से सारे पहलुओं पर विचार करे कि किस तरह से चुनाव प्रक्रिया को पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन को संशोधित करके इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराये जायें ।

एक और गंभीर समस्या मेरी दृष्टि में आती है । चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं । संविधान में अधिकार है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अधिकार है, मैं उस अधिकार को चैलेंज नहीं करता हूं लेकिन मान्यवर आप देखें कि देश के अन्दर हर वर्ष और इस वर्ष तो कितने चुनाव निरस्त कर दिये गये । गया में तो शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था जिनकी हत्या हुई और वहां का चुनाव निरस्त हुआ लेकिन और जिन प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण चुनाव निरस्त हुये हैं उनमें सारे के सारे निर्दलीय प्रत्याशी थे । क्या कारण है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की हत्या की जाती है । इस पर सरकार को विचार करना चाहिये । जो उम्मीदवार हारने की स्थिति में हो जाते हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी की बलि चढ़ा देते हैं और चुनाव रद्द हो जाता है । इस पर भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिये कि क्या सुधार इस संबंध में किया जाय । मैंने वचन दिया है, मैं समय नहीं लूंगा वरना इस पर भी मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता था । चुनावों में धन का, बाहुबल का या भ्रष्ट प्रक्रिया का जो प्रयोग किया जाता है उसमें भी सुधार अपेक्षित है ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मालवीय जी का जो संकल्प है मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, इसका समर्थन करता हूं और हृदय से मालवीय जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं । इस तरह का संकल्प प्रस्तुत करके सरकार को इन्होंने विचार करने का अवसर दिया है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये हम सबको अपने विचार रखने का समय मिला है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Dr. Narreddy Thulasi Reddy.

*DR. N. THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, right from 1952 we have been following democratic system in elections and we should feel proud of it. But as the days are passing by, the democratic system is being affected and our election system has to be changed as it is creating disharmony at the social level of our country. Everyone of you will agree with me and feel that the existing election laws need to be amended. But the question is in what way these laws are to be amended? On this, different political parties have different opinions. In this context I would like to suggest a few points as I don't have more time at my disposal.

Sir, I would like to refer to the expenditure incurred during elections. There are incidents where a single candidate contesting from a parliamentary constituency spent more than Rupees one crore. The election wave is spreading and so is the expenditure. As the prices are increasing, election expenditure is also increasing simultaneously. But as per the notification issued in 1984, the Election Commission had fixed a ceiling of Rupees one lakh fifty thousand as election expenses for each parliamentary constituency and Rupees fifty thousand for each Assembly constituency. If this ceiling is crossed, it becomes illegal and the elections are countermanded. At present the Election Commission is following this system. But I don't think it is very practical since it cannot be implemented effectively. According to former Chief Election Commissioner Shri Ganesan's estimation, the minimum expenditure incurred in a single Parliamentary constituency is Rs. 5,58,000. So, what I would suggest that this ceiling should be raised keeping in view the social conditions and its practical aspect. I don't mind even if this ceiling is completely removed. This ceiling is not serving its purpose. The figures of expenditure are always shown below the ceiling whereas in actual practice it may be much higher. In the very beginning itself people's representatives are forced to submit false figures—their very first deed even before entering the Parliament is thus a dishonest one. So I feel that the better course would be to remove the ceiling of election expenses. If it is not possible, it should at least be raised.

Sir, my second suggestion is that it is better if Government itself bears the election expenditure. This suggestion has been accepted by many political parties, former election commissioners and a few committees set up to examine this issue. At the same time this is also opposed by some people who say that it will not reduce the election expenditure and will be an additional burden on the government exchequer. In Europe, in some countries like Germany, France and also in Japan this state funding system has been successfully implemented. But in my opinion, instead of giving it in cash it can be paid in kind, for example, in the form of voter's slips, election propaganda material, posters or public address system for election meetings. This again should be made available only to the recognised political parties.

Sir, in our country there are many social, cultural, economic and geographical differences. The present system is not representing the people's wishes directly either in Parliament or in the State Assembly. Sometimes the party securing 40 per cent votes is getting 70 per cent seats and sometimes the party securing 40 per cent votes is not getting even 20 per cent seats. We are witnessing this in many Parliamentary elections and Assembly elections. So the present system is defective. Therefore in my opinion the system of proportional representation would be a better alternative. Of course, this system also has its own advantages and disadvantages. We have to consider the advantages as well as the disadvantages of this system. Under this system one argument is that coalition Government will come to power and there will be instability either in the centre or in the states and the leadership of the political parties becomes arbitrary and dictatorial. But what I want to say is that the party presently in power under the present system does not enjoy majority in Parliament. Both in the Ninth Lok Sabha elections and the Tenth Lok Sabha elections majority party did not come to power. We cannot come to the

*English translation of the original speech delivered in Telugu.

[Dr. N. Thulasi Reddy]

conclusion that coalition government will be a failure and will not be stable, because in West Bengal coalition government is continuing and is stable. So I think that proportional representation system would be suitable for the country.

..[**The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar)** in the Chair]

Sir, elections are being held throughout the year in one state or the other. My suggestion is that elections should be held only once in 5 years. Either in the beginning of the year or in February or March, elections for Lok Sabha, State Assemblies, Zila Parishads, Municipalities, Panchayats should be held simultaneously which would reduce the expenditure of Govt., candidates and Parties prevent rigging and booth capturing also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude. Let us listen to the Minister.

DR. N. THULASI REDDY: Often it so happens that rigging and booth capturing takes place in the later part of the day leading to clashes. In order to avoid this, Identity cards should be issued which will be multipurpose cards which can be used as ration card, dispensary card and also for election purposes.

The number of independent candidates contesting is sometimes two to three hundred and due to this the ballot paper becomes very big making it inconvenient to the voters and polling authorities. These independent candidates do not exactly contest to win the election. So independent candidates should not be allowed to contest.

The system of countermanding an election in case of death of a candidate is also not proper. If a candidate from a political party expires, that party can as well nominate another candidate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): please conclude.

DR. N. THULASI REDDY: I will take two minutes, Sir, so countermanding should be avoided. Maximum age limit and minimum educational qualification should be fixed for politicians. Rotation of reserved constituencies should be made for every ten year. With these suggestions I conclude and thank you Sir for giving me this opportunity.

Thank you.

THE **VICE-CHAIRMAN (SHRI** BHASKAR ANNAJI MASODKAR): As I announced earlier, I request the Minister to intervene now.

SHRI KAPIL VERMA: Sir, I have given my name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We are continuing the debate. He is only intervening.

SHRI KAPIL VERMA: I will take just five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let him finish.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (**SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY**): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have been hearing the views of the Members on electoral reforms based on the Resolution moved by...

श्री शांति त्यागी : उपसभाध्यक्ष महोदय, क्या यह डिस्कशन 5 बजे के बाद कंटीन्यू करेगा ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): This is an intervention. The Minister can always intervene.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: He wants to know whether he can speak after that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR : Yes,

yes. This debate will continue up to 5 o' clock. Let him finish.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, I have been hearing the Members' views about electoral reforms based on the Resolution moved by Shri Satya Prakash Malaviya. Basically, this Resolution deals with the postponement of elections by the Election Commission during the recent elections. From the postponement of these elections, the Mover of the Resolution suggests that we should go in for electoral reforms. The other Members who have spoken have also given some valuable suggestions for the proposed electoral reforms. We from the Congress Party are committed for electoral reforms which will enable the voter to reflect his views and elect proper candidates whom he would like to get into power. I agree with some of the suggestions made by the hon. Members. From the earlier days we have seen a number of elections. Broadly, except one or two elections the choice of our voters has been correct. They have been choosing the right party which did good to the people. Most of them are poor but still they have been going in the right direction. Democracy in the country has been established and is going to continue in this country. But from the experience from election to election we have to think of some changes so that the will of the people will prevail. We have just now heard Mr. Subramanian Swamy how there was a postponement in the last election when Shri Rajiv Gandhi was murdered. There was a dispute, about the period of nearly 20 days' postponement. It looked as if it was like a second election. In three days some of us have faced three elections. We cannot afford it for reasons which Mr. Subramanian Swamy explained. Perhaps a member in the same Cabinet was responsible; he did not know the facts. The effect of postponement has to be studied in the election. The first postponement after the death of Shri Rajiv Gandhi was from the 26th to 11th, 12th and 16th. Some people feel that the Punjab elections should not have been postponed or that the Election Commission has arbitrarily done it. Sir, the Election Commission feels that the decision was taken by the Commission independent of any extraneous influence, on the basis of the information available to it and in the possession of the Commission, in the interest of the security of so many people. They feel that they should not reveal the reports that they received from various authorities. As far as the first postponement of Punjab election is concerned, according to the Commission it is on the basis of the recommendation of the Home Ministry. So the hon. Member who was then in the Home Ministry should have known that it was postponed at the instance of the Home Ministry. These three postponements and also the other reasons should be taken into consideration when we think of electoral reforms. In this election one factor which has come out prominently is booth capturing, lawlessness and the ballot papers being taken away. These things must be seriously considered.

Sir, the Government from the very beginning has been thinking of electoral reforms and has also done so many things. A number of committees have been appointed: Jayaprakash Narayan Committee and others. Recently the previous Government also appointed a committee. And it was a unanimous decision. Depending upon this some Bills were introduced to amend the Constitution and the Representation of the People Act.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There were two former Law Ministers, not one. (*Interruptions*).

SHRI ASHOKE KUMAR SEN (West Bengal): The present one is more than two! (*Interruptions*).

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: All the Bills were moved by one Minister who is not present here, unfortunately, for the amendment of the Constitution and the Representation of People Act. Two have been passed, but the other three Bills are pending before the House. Sir, we want to pursue those Bills but not immediately. We must get the report of the elections from the States and also the Election Commission. We have to go deep into the matter before enacting laws. We have seen that...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Is it possible in the current Session?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Not in the current Session. It will take some time. Reports from various States and Election Commission are still awaited. It may take some more months. After receiving the reports we must go deep into the matter. First of all, we have to make up our mind and also consult various parties and try to bring a legislation which will stand for 2 or 3 decades. Every time if we pass a Resolution in the House and change it next time it will not be good. Now the elections are over and we have time. We have to think of any Act, any Bill which will stand for a long time. A number of suggestions have come. The pending Bills now are Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990. Constitution (Seventy-First Amendment) Bill, 1990 and another amending Bill. A Bill regarding Chief Election Commissioner has already been passed. After getting the report from the Election Commission and also from various States we will have to analyse the situation.

One other fact which has been mentioned is that violence in this election has increased compared to other elections. From 1989-90, the violence has increased in every State except one State. This is the fact which is worrying everybody. It has to be stopped. The statistics are with me regarding booth-capturing and taking away of ballot papers which I have collected from the Home Ministry. This trend must be stopped. We have to see that peaceful polling is there. Some of the other things which the Members know are Electronic Voting Machine and Identification Photo Cards. These are very costly. We have to spend hundreds of crores of rupees for this. But still we feel it is worth spending. Government has acquired 1.5 lakhs electronic machines. We need another 4 lakh machines. Its cost is about Rs. 2.24 crores. In the coming elections, we would like to use them. These electronic machines are manufactured by our own companies. With the experience in this coming election this facility may be extended to the entire country.

Sir, identification of voter is also very important. We had some experience in various States in the Municipal and Corporation elections. The results are not very encouraging. This is to be made foolproof. The idea is to have photo-cards not only for the elections but as a multi-purpose thing. All these things are being examined. Once we take a decision, we will take all parties into confidence. We would like to come with a consolidated proposal before the House which will stand for a long time to come. This is the view of the Government. We have already started the process and in the course of time in one or two months we will be able to get the report from various States and the Election Commission. We will consider all the aspects and come before the House with all the electoral reforms. We are committed to bring these electoral reforms. So, I request the hon. Member to withdraw the Resolution because the Government itself is committed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That stage has not come because the debate is not over.

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन सुझावों को उनमें सन्निहित किया जायेगा जो विधेयक आपके विचाराधीन हैं ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have not said anything about the expenses and rigging.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, all these aspects are to be considered.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Hon. Minister has said that the Government is expecting reports from different States about the conduct of elections which were held about one or two months back. But there is a Bill pending, that is, Constitution (Seventieth Amendment) Bill, 1990. This relates only to the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners, and also relates to the Election Commission effectively conducting elections. My

question is that so far as this Bill is concerned, it has nothing to do with the reports that you are expecting from different States. In that case, what is the problem in getting this Bill passed?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: I had said it during the Question Hour also that we are committed to it. In addition to that, we are thinking of so many other reforms like the electronic machines, the photocard system and how to prevent rigging and how to prevent booth capturing. As I said, we are committed to bring about these reforms and we are also now awaiting reports from the CEC and from various State Governments.

श्री ईश दत्त यादव : एक चीज मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि इस देश के चुनावों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है प्रक्रिया—डिलिमिटेशन, जो हर 10 साल के बाद कांस्टीट्यूंसी का होना चाहिये। मैं समझता हूं सन् 1974 के बाद यह डिलिमिटेशन नहीं हुआ । क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि कंस्टीट्यूंसीज का डिलिमिटेशन हो जाय, क्योंकि नियम यह है कि जो रिजर्व कंस्टीट्यूंसी हैं उनको हर 10 साल के बाद चेंज किया जाये । क्या आप इसको भी करने जा रहे हैं ?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: This also is under consideration of the Government. Not only this, in addition to that, rotation of reserved constituencies is also under the consideration of the Government.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): I suggest that the Government should hurry up in this matter, because nobody knows how long this Government will last. Last time also, the Government wanted to bring about reforms but it fell and the election rules did not change. So please hurry up in the matter.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): This Government is not under the umbrella of Chandraswamy like the previous Government. This Government will last full term.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I very much wish but nobody knows.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri Narayanasamy, not here. Shri Tyagiji.

श्री शांति त्यागी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मालवीय जी तजुर्बेकार पालियामेंटेरियन भी हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और जनता के बीच में भी रहते हैं । मुझे ताज्जुब है कि जो प्रस्ताव और मोशन उन्होंने यहां आज हाऊस में मूव किया है वह बहुत नेगेटिव है । जो बात इलैक्ट्रोल रिफोर्म्स की वह कहते हैं वह निगेटिव एंगिल से निकालना चाहते हैं । उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि चुनाव प्रणाली में क्या सुधार होने चाहिये। माननीय सदस्यों ने जो बात कही हैं उनके वक्तव्यों में और उनकी स्पीच में तो आया है लेकिन मालवीय जी के प्रस्ताव में और भाषण में कहीं भी नहीं आया है । जो बात कही गयी वह यह कि — माननीय राजीव गांधी की निर्मम हत्या के बाद जो इलैक्शन 20 दिन के लिये पोस्टपोन किया गया उसके ऊपर उनको आपत्ति है । उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सुब्रह्मण्यम स्वामी जो कि पिछली सरकार में मालवीय जी के साथ थे, ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उस सिचुएशन को बताया है जैसा कि राजीव गांधी जी के हत्या के बाद इलैक्शन कमीशन को देश के चुनावों को पोस्टपोन करना पड़ा । इलैक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति जी से भी परामर्श किया और उसके बाद यह हुआ । कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं बीच में नहीं आती । मैं मालवीय जी से कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद दुनिया के विश्व नेता की हत्या के बाद, मैं कहूंगा अगर देश में कांग्रेस पार्टी के प्रति और नेहरू परिवार के प्रति एक नयी हमदर्दी और सहानुभूति की लहर आई तो इसमें ताज्जुब क्या है मुझे बताइए । आपकी

[श्री शांति त्यागी]

पार्टी का कोई नेता अगर भगवान को प्यारा हो जाय, हत्या हो या वैसे गुजर जाए, तो स्वाभाविक बात है कि आपकी पार्टी को और उस परिवार को जनता की हमदर्दी और सहानुभूति मिलेगी। मंत्री जी का कहना ठीक है कि हम 30 दिन के लिये पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते थे। आप जानते हैं कि सहानुभूति की लहर बहुत दिन तक नहीं रहती है। वह तो शार्ट टाइम की होती है और इसलिये कांग्रेस का कोई मकसद नहीं था कि इलेक्शन लम्बे टाइम के लिये पोस्टपोन हो जाये। हमने हमेशा कहा कि पोस्टपोन होना जरूरी है क्योंकि देश में ऐसे हालात हो गये थे, राजीव गांधी की हत्या के बाद देश में जो स्थिति पैदा हुई थी उसमें 26 तारीख को या 24 तारीख को इलेक्शन नहीं हो सकते थे। इसलिये इलेक्शन पोस्टपोन किये गये। इस पर मालवीय जी को आपत्ति हुई है, इस पर मुझे अफसोस है।

दूसरी बात यह है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के कुछ इलिमेंटस से बात करके यह तय कर लिया कि उन्हें पंजाब में चुनाव कराने हैं। मगर देश की जनता को मालूम है और इस सदन को भी मालूम है कि पंजाब में उस वक्त भी और आज भी इलेक्शन के अनुकूल हालात नहीं थे। इसीलिये इलेक्शन कमीशन ने अगर वक्त रहते पंजाब में चुनाव को स्थगित कर दिया तो कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया।

अब रही बात काउंटरमांडिंग की तो काउंटरमांड मेरठ में हुआ, और जगहों पर भी हुआ। एक पार्टी ने जो धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी, इलेक्शन को डिस्टर्ब किया। उसके बाद दंगे हुए और तब क्या यह संभव था कि इलेक्शन जारी रखा जाता? अगर उस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ने काउंटरमांड किया है तो कौन सा गुनाह किया? मालवीय जी ने इस संबंध में जो बात कही है वह उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। देश में और भी उलेक्शन काउंटरमांड हुये हैं। जब उनका नतीजा सामने आयेगा तो कांग्रेस भागेगी नहीं वहीं खड़ी रहेगी।

मालवीय जी मुझे क्षमा करेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके एक पुराने साथी हैं, वे मंत्री भी रह चुके हैं वे बागपत से चुनाव लड़ते हैं और आज भी उनके क्षेत्र में ऐसे हरिजन लोग मौजूद हैं, मर्द और औरत, जिनको आज तक के चुनावों में कभी यह मौका नहीं मिला कि वे बैलट बाक्स तक जा सकें और अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। उनको यह सब बातें उठानी चाहिए थीं लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब में इलेक्शन क्यों पोस्टपोन कर दिया, राजीव गांधी की हत्या के बाद 20 दिन के लिए इलेक्शन क्यों पोस्टपोन कर दिए? आपने यह बात नहीं कही कि चुनाव कानून में क्या-क्या संशोधन होने चाहिएं। आप कोई पाजिटिव बात कहिए, नैगेटिव बात से कोई फायदा नहीं है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पैसे का मामला है, मनी पावर का मामला है, शराब का मामला है, डंडे का मामला है, बूथ कैप्चरिंग का मामला है। ये सब चीजें इलेक्शन में प्रभावी होती जा रही हैं। महोदय, यहां बहुत से माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, हो सकता है कि वे कभी लोक सभा का चुनाव लड़ें तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आज अगर कोई भी आदमी लोक सभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास और उसकी पार्टी के पास 10 लाख, 20 लाख रुपया होना चाहिए। महोदय, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी पार्टी हो चाहे जनता दल हो, चाहे समाजवादी जनता दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर पार्टी के जो कैंडीडेट चुनाव जीतकर आते हैं और वे जो इलेक्शन एकाउंट सबमिट करते हैं वह कोरा झूठ है, फेक है। 20 लाख खर्चा होगा तो दिखायेंगे एक लाख। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी पार्टियों के लोगों को बुलाकर इस बारे में बात कीजिए और उचित सुधार

लाइए। एक बात मैं और कहूंगा कि जो आजाद उम्मीदवार बनकर आते हैं उन पर कोई पाबन्दी नहीं। अब धरती पकड़ जैसे लोग भी चुनाव लड़ते हैं। जहां भी जिसका भी चुनाव हो, प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो चाहे कोई भी हो धरती पकड़ चुनाव में खड़े हो जाते हैं। इस किस्म के लोग 5 वोट लेकर चुनाव लड़ते हैं और इलेक्शन का जो फार्म होता है उसमें इस तरह से 50-50 नाम आ जाते हैं। इसके ऊपर भी कुछ पाबंदी लगाइए।

5.00 P. M.

इन विचारों के साथ मैं मालवीय जी से कहूंगा कि वह निगेटिव चीज मत लाइए, इलेक्शन में क्या सुधार होने चाहिएं इस पर तवज्जह दीजिए। राजीव गांधी की हत्या के बाद पंजाब में इलेक्शन काउंटरमेंड हुए, बिहार में हुए। यदि इटावा में भी काउंटरमेंड हुआ तो गलत हुआ, इस तरह की भावना बदलनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The debate on this Resolution remains inconclusive.

SHRI KAPIL VERMA: Sir you can give me one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is not possible.

श्री ईश दत्त यादव : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में एक मामला उठाना चाहता हूं . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : श्रीमन्, मैं भी एक मामला उठाना चाहता हूं। सुबह जब चेयर पर श्री बेबी थे तो हमने उन से निवेदन किया था. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Malaviya, one minute pelase. There are two statements regarding Ordinances and two Bills to be introduced Shri S. B. Chavan.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : श्रीमन्, इस पर मुझे आब्जेक्शन है। मेरा आब्जेक्शन यह है कि हमको दो सप्लीमेंटरी लिस्ट आफ बिजिनेस मिलीं। एक ओरिजनल और दूसरी सप्लीमेंटरी। एक तीसरी यह 4 बजे मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या परेशानी थी कि लिस्ट आफ बिजिनेस के साथ यह सब लोगों को क्यों नहीं मिली ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He has to lay two statements and introduce two Bills. He will clarify the position.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: That is my objection. Why was this Second Supplementary List of Business not circulated earlier in the day?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It was.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): I will explain the position.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Minister, you can lay the statement now.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, I am not objecting to the laying of the statement. My objection is this. We have already received two Agenda papers in regard to today's Business of the House. This is the Second Supplementary List of Business. I received it at 4 p.m. My objection is, what was the problem and why it not circulated in the morning itself?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I understand from the Secretariat that these Bills were first withdrawn from the other House. Thereafter, the Chairman permitted it during the course of the day. That is how it was circulated.

Mr. Chavan, you can proceed now.